

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल,
वर्ष 1/ अंक 11/ पृष्ठ: 16
मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

कौशल विकास से ही कुशल होगा हिमाचल : डॉ. एल.सी. शर्मा



Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत



द रीव टाइम्स (अंजना ग्राकुर)

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और कनाटक में युवाओं के कौशल को विकास देने के बाद अब आईआईआरडी हिमाचल में भी युवाओं के कौशल को निखार कर उन्हें भविष्य की बेहतर नींव रखने और हुनर को तराशने में सहयोग करेगा। खास बात यह कि हाल ही में आईआईआरडी को एनएसडीसी यानि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से साझेदार के तौर पर प्रशिक्षण के लिए अधिकृत कर दिया गया है। आईआईआरडी हिमाचल की इकलौती ऐसी संस्था है जो देश के 21 राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है। बात अगर कौशल विकास की करें तो इसमें भी आईआईआरडी को राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इत्यादि में जनजातिय महिलाओं के कौशल संवर्द्धन के लिए प्रोजेक्ट रूपातंरण के लिए उत्कृष्ट संस्था के रूप में सम्मानित हो चुकी आईआईआरडी यूपी, उत्तराखण्ड में कौशल विकास से संबंधित विभिन्न केंद्रों पर अभी तक तीन हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित कर उनके बेहतर भविष्य निर्माण में सहयोग कर चुकी है। हिमाचल के युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि आईआईआरडी अब हिमाचल में भी कौशल विकास केंद्र खोलकर प्रदेश के युवाओं का हुनर तराशने के लिए तैयार है। इसकी शुरुआत जिला शिमला से की जा रही है।

दरअसल, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से आईआईआरडी को जिला में पांच केंद्र चलाने के लिए अधिकृत किया गया। हर केन्द्र पर 60-60 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। अभ्यर्थियों को आईटी और हैल्थ सेक्टर में प्रशिक्षित किया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण में आईआईआरडी इसलिए भी अन्य के मुकाबले बेहतर और विश्वसनीय है क्योंकि संस्था



कौशल विकास के पथ पर आईआईआरडी के लक्ष्य

- आईआईआरडी निजी क्षेत्र में कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने की ऐसी संभावनाओं को तलाश रहा है जिसमें उद्यमियों सहित कारोबार के ऐसे विचार पैदा हों जहां हम युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में सम्मानित बेतन के साथ जोड़ सकें। सेवाक्षेत्र ऐसी कई संभावनाओं से भरा पड़ा है कौशल विकास विश्वविद्यालय ऐसा हो जहां कारोबारी तैयार किए जा सकें, कारोबार के विकल्प तैयार किए जा सके और कारोबार के लिए आवश्यक मानव संसाधन तैयार किए जा सके।



यहां समझे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का महत्व

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। आजीविका गरीबी कम करने के लिए एक मिशन है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है। इस योजना से 550 लाख से अधिक ऐसे गरीब ग्रामीण युवाओं को जो कूशल होने के लिए तैयार हैं, स्थायी रोजगार प्रदान करने के द्वारा लाभ होगा। इस योजना का महत्व गरीबी कम करने की इसकी क्षमता से है। इसकी संरचना प्रधानमंत्री के अभियान 'मेक इन इंडिया' के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में की गई है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation @ NSDC) भारत की ऐसी पहली और एकमात्र संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है और जो निजी तथा सरकारी साझेदारी में काम करने वाली इकाई है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौशल विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा इस बात के लिए समर्पित है कि असंगठित क्षेत्रों को इन प्रयत्नों का पूरा लाभ मिले। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के गठन की घोषणा की थी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इकाइयों कौशल के विकास का प्रयास तो करती हैं लेकिन उनसे फायदा लेने के लिए जो वित्त चाहिए होता है उसकी उनके पास कमी होती है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यह वित्त प्रदान कर उनके लिए उत्तरोक्त का कार्य करती है। निजी तथा सरकारी साझेदारी का एक मॉडल भी तैयार करने में NSDC की बड़ी भूमिका है जिससे निजी इकाइयों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा समर्थन देने तथा उनके साथ समन्वय बिठाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम 21 भिन्न-भिन्न क्षेत्रों पर एकाकी रूप से ध्यान केन्द्रित करती है जिससे प्रत्येक सेक्टर की क्षमता को समझने तथा उससे निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। अब आईआईआरडी भी एनएसडीसी के साथ साझेदार के तौर पर काम करने के लिए पूरे देश में अधिकृत है।


में वित्त वर्ष 2017-18 में 107 और सेयादराजा में भी इसी दौरान 107 को प्रशिक्षित किया गया जबकि देरहावाल में वित्त वर्ष 2018-19 में 54 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है। उत्तर प्रदेश के ही कासगंज जिले में भी कासगंज-1 केन्द्र पर वित्त वर्ष 2015-2016 में 54, 2016-17 में 108, 2017-18 में 200 और 2018-19 में 100 स्थान कुल 462 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह कासगंज-2 केन्द्र पर वित्त वर्ष 2017-2018 में 216 और 2018-19 में भी 216 यानि कुल 432 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसी तरह गोरखपुर, देवरिया, महागंज में भी करीब 900 युवाओं का पंजीकरण विभिन्न केन्द्रों पर किया गया जबकि अन्य केन्द्रों पर प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा उत्तराखण्ड के पौड़ी और हरिद्वार में भी प्रशिक्षण की प्रक्रिया पीएमकेवाई के तहत जारी है।

जिला गोरखपुर			उत्तर प्रदेश जिला कासगंज			जिला चंदौली		
केन्द्र	वित्त वर्ष	पंजीकृत	केन्द्र	वित्त वर्ष	पंजीकृत	केन्द्र	वित्त वर्ष	पंजीकृत
भोपा बाजार	2017-18	108	कासगंज-1	2015-16	54	चंदौली	2014-15	273
तुरा बाजार	2017-18	105		2016-17	108		2015-16	393
	2018-19	63		2017-18	200		2016-17	193
मालहन पार	2017-18	27		2018-19	100	कुल	2017-18	178
	2018-19	81	कुल		462		कुल	1037
जिला देवरिया			उत्तर प्रदेश जिला कासगंज			जिला शिमला		
बीआरडी गेट	2016-17	27	केन्द्र	वित्त वर्ष	पंजीकृत	सैक्टर	लक्ष्य	
	2017-18	108	कासगंज-2	2017-18	216	आईटी	60	
सिविल लाइन	2017-18	108		2018-19	216	स्वास्थ्य	180	
जिला महागंज			कुल		432	रिटेल		60
परतावल	2017-18	27	केन्द्र	वित्त वर्ष	पंजीकृत			
	2018-19	54	मैथला	2017-18	107			
मिथौरा	2018-19	81	सैयदराजा	2017-18	107			
महादेवा	2018-19	108	कुल		214			
कुल		897						

जिला चंदौली		
केन्द्र	वित्त वर्ष	पंजीकृत
चंदौली	2014-15	273
	2015-16	393
	2016-17	193
कुल	2017-18	1037
जिला शिमला		
सैक्टर	लक्ष्य	
आईटी	60	
स्वास्थ्य	180	
रिटेल	60	

मिशन रीव दे रहा है एक सुनहरा अवसर

यदि आप में हैं ज़ज़्बा समाजसेवा और उद्यमशीलता का तो आपके सपनों को साकार करेगा मिशन रीव



अपने 10 सेवा प्रभागों में विभिन्न पदों के लिए करें आवेदन और पाएं पद, प्रतिष्ठा और सम्मानजनक रोज़गार वो भी अपने गांव, लॉक और ज़िला में।

मिशन रीव अपने 10 सेवा प्रभागों में पंचायत स्तर से राज्य सर्विकालय स्तर तक विभिन्न पदों के लिए आवेदन आंमन्त्रित कर रहा है। इन पदों के लिए वाहित योग्यताएं एवं संपूर्ण विवरण इस प्रकार हैं:

सूचित पद	पदों की संख्या
प्रभागीय प्रमुख/डिविजनल हेड	10
ज़िला कार्यक्रम प्रबन्धक/प्रोग्राम मैनेजर	120
लॉक कार्यक्रम अधिकारी/प्रोग्राम ऑफिसर	780 जिसे आवश्यकतानुसार उचित समय पर बढ़ाया जाएगा
पंचायत सेवा सहायक/सर्विस ऐसोसिएट	10 प्रति पंचायत

राज्य स्तर पर :

- राज्य डिविजन हेड, स्वास्थ्य प्रभाग
- राज्य डिविजन हेड, कृषि प्रभाग
- राज्य डिविजन हेड, यूटिलिटि, लाईसेंस एवं अन्य ऑनलाइन सेवाएं
- राज्य डिविजन हेड, उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास प्रभाग
- राज्य डिविजन हेड, बैंकिंग, फाइनांस एवं इंश्योरेंस प्रभाग
- राज्य डिविजन हेड, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग
- राज्य डिविजन हेड, सामाजिक सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रभाग
- राज्य डिविजन हेड, ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग प्रभाग
- राज्य डिविजन हेड, सर संपत्ति प्रबन्धन प्रभाग
- राज्य डिविजन हेड, मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन प्रभाग

ज़िला स्तर पर :

- प्रोग्राम मैनेजर स्वास्थ्य प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर कृषि प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर यूटिलिटि, लाईसेंस एवं अन्य ऑनलाइन सेवाएं
- प्रोग्राम मैनेजर उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर बैंकिंग, फाइनांस एवं इंश्योरेंस प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर सामाजिक सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर संपत्ति प्रबन्धन प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन प्रभाग

लॉक स्तर पर :

- प्रोग्राम ऑफिसर स्वास्थ्य प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर कृषि प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर यूटिलिटि, लाईसेंस एवं अन्य ऑनलाइन सेवाएं
- प्रोग्राम ऑफिसर उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर बैंकिंग, फाइनांस एवं इंश्योरेंस प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर सामाजिक सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर संपत्ति प्रबन्धन प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन प्रभाग

पंचायत स्तर पर :

- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, स्वास्थ्य प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, कृषि प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, यूटिलिटि, लाईसेंस एवं अन्य ऑनलाइन सेवाएं
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, बैंकिंग, फाइनांस एवं इंश्योरेंस प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, सामाजिक सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, संपत्ति प्रबन्धन प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन प्रभाग

प्रार्थी के चयनोपरांत 10 सेवा प्रभागों में विभिन्न पदों के लिए करें आवेदन और पाएं पद, प्रतिष्ठा और सम्मानजनक रोज़गार वो भी अपने गांव, लॉक और ज़िला में। प्रभागों में यहाँ बताई गई समस्त सेवाओं को पूर्णतः संचालित करने की जिम्मेदारी उस प्रभाग के प्रत्येक स्तर के अधिकारी की होगी। बताए गए सेवाकार्यों के अलावा उस प्रभाग से संबंधित अन्य समस्त कार्य भी शामिल हैं।

स्वास्थ्य डिविजन

- जनऔषधि केंद्र— लोगों के घर द्वारा पर सरती दवा उपलब्ध कराना
- टेलीमेडीसन— लोगों के घर पर ही स्वास्थ्य जांच और ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा
- कृषि डिविजन**

 - मृदा परीक्षण लैब— सदस्यों और किसानों के लिए सेवाएं
 - जैविक खाद निर्माण—किसानों को जैविक खाद निशुल्क प्रशिक्षण और उनके द्वारा निर्मित खाद को बाजार उपलब्ध कराना
 - बीज और कृषि उपकरण—किसानों को उनकी मांग के आधार पर उत्तम किस्म के बीज और आधुनिक उपकरण
 - फीड सलीमेंट— पशुओं में दुध उत्पादन और स्वास्थ्य सुधार के लिए
 - जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना और कृषि विकास के लिए योजना बनाकर किसानों को सहयोग देना

- यूटिलिटी, लाईसेंस व अन्य ऑनलाइन सर्विसेज डिविजन**

 - सरकारी योजनाओं और उन पर मिलने वाली छूट की जानकारी आमजन तक पहुंचाना
 - पंजीकरण, लाईसेंस, एनओसी और सर्टीफिकेट व अन्य संबंधित दस्तावेजों के निर्माण में सहयोग कराना
 - बिजली, पानी, व अन्य रोजमर्रा से संबंधित यूटीलिटी सेवाएं उपलब्ध कराना
 - ई-स्टेप, ऑनलाइन शिकायत व अन्य ऑनलाइन सेवाएं

उद्यमिता और व्यवसाय विकास डिविजन

- क्षमतानुसार बेहतर व्यवसाय चयन और संसाधन जुटाने में सहयोग
- प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता संवर्द्धन में सेवाएं
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, लोन दिलाने और व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग
- व्यवसाय शुरू करने से लेकर एक साल तक विभिन्न चरणों में सहयोग
- पहले से स्थापित व्यवसाय को बढ़ाने में सहयोग

बैंकिंग, फाइनेंस और इंशोरेंस डिविजन

- बचत, जमा और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सहयोग
- बैंक लोन देना और रिकवरी व देनदारी संबंधी सेवाएं
- संपत्ति प्रबन्धन, जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, पशुधन और फसल बीमा संबंधी सेवाएं

शिक्षा और प्रशिक्षण डिविजन

- गणित, विज्ञान और अंग्रेजी और अन्य विषयों पर ऑनलाइन कोचिंग
- साइकोमीट्रिक और फिंगर प्रिंट आधारित करियर पराक्रमण
- व्यक्तित्व विकास और अन्य विकासात्मक पहलुओं में सहयोग
- बचपन, किशोरावस्था व व्यरक्त आयुर्वर्ग आधार पर काउंसलिंग
- ई-लर्निंग टूल्ज और अन्य तकनीक

सामाजिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवा डिविजन

- बच्चों और बजुर्गों की देखभाल व महिला सशक्तिकरण व अक्षम वर्ग की देखभाल से संबंधित सेवाएं
- पेंशन व उपलब्ध समय के सुदृपयोग में सहयोग
- किसी भी आपदा और आकस्मिक दुर्घटना के समय सेवाएं
- सामाजिक समस्या, कुरितियों और बुराईयों के निराकरण में पहल

ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग डिविजन

- गांवों में तैयार होने वाले शुद्ध उत्पादों का कथ— विक्रय
- खरीददारों तक ग्रामीण उत्पादों को पहुंचाना
- गांवों में मांग आधारित उत्पादों की आपूर्ति करना और गांवों से उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना
- प्रदेश के भीतर आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना

संपत्ति प्रबन्धन डिविजन

- संपत्ति संबंधी देनदारियों, पंजीकरण, इंतकाल, राजस्व से संबंधित विभिन्न सेवाएं
- नक्शा तैयार करने और रथानीय प्राधिकरणों से मंजूरी आदि में सहयोग करना
- विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने में सहयोग

मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन डिविजन

- द रीव टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल
- ग्रामीण विकास से जुड़ी समस्याओं को विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना
- मिशन रीव ने इस सेवाओं को सार्वजनिक कर आम आदमी को उसकी परेशानियों से मुक्त करने और देश हित तथा स्वयं के विकास के लिए स्वतंत्रता एवं समय प्रदान करने का एक सुअवसर प्रदान किया है।

अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित फोन नम्बर तथा ईमेल पर संपर्क करें

0177- 2640761, 2844073 anand@iirdshimla.org info@iirdshimla.org hr@iirdshimla.org

सोलन ज़िले के अर्का में गुजरात से आए आईटी के युवाओं को दी मिशन रीव की जानकारी

रीव 2 में ग्रामीण प्रबन्धन को युवाओं ने सराहा



द रीव टाइम्स ब्लूरो

ग्रामीण प्रबन्धन में तकनीकि विकास विषय पर सामाजिक सेवारत इन्केडिल हिमाचल द्वारा गुजरात के आईटी प्रशिक्षण संस्थान से आए युवाओं को 21 दिन का प्रशिक्षण /ओरियंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके तहत इन युवाओं को विभिन्न विषयों की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही इन युवाओं को हिमाचल की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम का आगाज़ राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त एवं सहायक संपादक द रीव टाइम्स हेम राज चौहान ने किया। उन्होंने ग्रामीण विकास में तकनीकि पहलुओं को

स्वास्थ्य, उद्यमिता आदि। उन्होंने गुजरात से आए सभी युवाओं का स्वागत किया और कहा कि हिमाचल में उन्हें इन 21 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रदेश के अनेक ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण भी करवाया जाएगा तथा गांव में सर्वे करवाकर लोगों की समस्याओं को जाना जाएगा। मिशन रीव संस्करण 2 पर संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इससे पूर्व इन्केडिल हिमाचल के चेयरमैन नीरज गुप्ता ने समस्त युवाओं को स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संस्था ने इस प्रयास से एक प्रकार से राज्यों में युवाओं के बीच

जोड़े हुए मिशन रीव पर वक्तव्य दिया और कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को देने के लिए आईटी की भूमिका की ही आवश्यकता है। तकनीक की आवश्यकता ग्रामीण प्रबन्धन में प्रत्येक क्षेत्र में है जैसे कि कृषि, सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी करने का प्रयास किया है। हम राज चौहान ने अपने प्रस्तुतिकरण में युवाओं को गांव में संस्थागत तरीके से

गुजरात से आए युवाओं के लिए 21 दिन का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

रोहडू में मृदा के 100 से अधिक मृदा नमूने सैंपल की जांच लोगों ने रीव मृदा जांच शिविर में लिया बढ़चढ़ कर भाग



द रीव टाइम्स ब्लूरो

रोहडू में भी किसानों ने अपना उत्साह रीव मृदा जांच शिविर में दिखाया है तथा किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जांच के बाद किसानों को रिपोर्ट के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए रीव जैविक खाद आदि भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

क्या कहते हैं अतिरिक्त ज़िला समन्वयक अंकुश नगरैक

रीव मृदा जांच टीम के सदस्य एवं मिशन रीव एडीसी अंकुश नगरैक के अनुसार गांव-गांव में पहुंचने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रीम मृदा जांच टीम ने 100 अधिक किसानों के सैंपल टैरेस्ट हेतु लिए हैं तथा उनकी रिपोर्ट किसानों को दी जा रही है।



गौरतलब है कि किसानों से सैंपल लेने के बाद उसे रीव मृदा जांच शिविर आयोजित किए गए तथा उसमें किसानों ने बड़ी तादात में भाग लिया। रीव मृदा जांच टीम ने 100 अधिक किसानों के सैंपल टैरेस्ट हेतु लिए हैं तथा उनकी रिपोर्ट किसानों को दी जा रही है।

गौरतलब है कि किसानों से सैंपल लेने के बाद उसे रीव मृदा जांच लैब में तकनिशियन जांच करते हैं तथा उस पर विशेषज्ञ अपनी राय यानि परामर्श से किसानों को लिखित रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। अभी हाल ही में जुबल आदि क्षेत्रों में भी किसानों के व्यापक पैमाने पर सैंपल लेकर जांच की गई थी। जिसमें किसानों को उनकी मिट्टी के आवश्यक तत्वों की जानकारी और कमियों आदि को किस प्रकार पूरा किया जाना है, बताया गया।

पौधों को खाद देने की विधि

उसके तौलिये का आकार भी बढ़ जाता है। ऐसे में तौलिए के छोर से 30 सेंटीमीटर अंदर पेड़ के तने की ओर 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 3-4 सेंटीमीटर गहरी नाली बना ले। यह नाली पेड़ के तौलिये के बृत में होगी। इस नाली की मिट्टी एक तरफ कर लें और खाद की निर्धारित मात्रा डालकर उसे बही की निकाली हुई मिट्टी में ढक लें। खाद डालने के लिए वहाँ नमी का होना आवश्यक है। इसलिए खाद डालने के लिए बारिश या बर्फबारी के तुंत बाद का समय बेहतर है। नमी और जल से उर्वरकों का विघटन आसानी से हो जाता है और खाद पूर्ण रूप से जड़ों तक पहुंच जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि सूखे मौसम में खाद न डालें। गोबर की खाद और अन्य प्राकृतिक खादें कुछ दिन मृदा में ढकी रहने पर भी उपलब्ध हो जाती है। सुपर फॉर्सफेट की भी यही स्थिति है लेकिन कैन खाद का प्रयोग इस अवस्था में न करें। शुष्क अवस्था में इसकी नाइट्रोजन नष्ट हो जाती है।

ज़बरदस्ती सड़क निर्माण से लोग परेशान कोई नहीं सुन रहा फरियाद



द रीव टाइम्स ब्लूरो

संजौली इंजनियर से नीचे की ओर बिल्कुल सीधे खड़े रास्ते को गुपचुप तरीके से सड़क में बदलने की मुहिम चलाई जा रही है जिससे वहाँ रास्ते के साथ बने सभी मकान मालिकों को बहुत परेशानी हो गई है। विरोध के बावजूद सड़क को बनाने की जिदद कहीं न कही भविष्य के लिए ख़तरा पैदा कर देगी। दरअसल संजौली में इंजनियर के साथ पार्किंग के पास से नीचे की ओर सीधी सीढ़ीयां उतरती हैं। क्योंकि अब यह एक बड़ी कलौनी बन चुकी है इसलिए मकान भी वहाँ से काफी नीचे तक बन चुके हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, नीचे की ओर जिन्होंने मकान बनाए हैं उनमें कुछ अपने प्रभाव का इस्तेमाल उन सीढ़ीयों

में डालना चाहते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिसिंपल एवं चेयरमैन आईआईआरडी प्रोफेसर आर के गुप्ता ने कहा कि वो और उनकी पत्नी इस वृद्धावस्था में अपने मकान एवं जगह को बचाने तथा इस सड़क के बनने व

पाठकों से अपील

प्रिय पाठक वर्ग

पाक्षिक विकासात्मक समाचार पत्र 'द रीव टाइम्स' का 11वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आशा करता हूं कि पिछला अंक आपकी उम्मीदों पर खरा उत्तरा होगा। 'द रीव टाइम्स'

आनन्द नाथर प्रबन्ध संपादक



हमें है रूपाल आपका

हम समझते हैं गांव और ग्रामीणों की जरूरत...

दूसरों के बनाए रास्तों पर आप सहज तो हो सकते हो, परन्तु मंजिल पाने के लिए स्वयं के बनाए रास्तों पर ही चलना पड़ता है



युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने साहिल उपमन्यु

दो माह में सैकड़ों लोगों को घर पर ही दी सेवा



टीम रीव, ऊना

मन में कुछ करने का जज्बा हो तो मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है। काम कैसा भी हो अगर मन में उसे करने की ठान ली जाए तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, इस बात को सच कर दिखाया है ऊना में मिशन रीव प्रतिनिधि साहिल उपमन्यु ने। साहिल ने बतौर पंचायत फेसिलिटेटर 2017 में मिशन रीव ज्वाइन किया। काम के आधार पर साहिल को पीएफ से पदोन्नत कर सहायक ब्लॉक संयोजक बनाया गया। साहिल का कहना है कि वह काफी समय से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे

लोगों के काम आसानी से हो जाए। जब उन्होंने मिशन रीव ज्वाइन किया तो उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। साहिल की माने तो उन्होंने सैकड़ों लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद की और तीन माह के भीतर सर्वय भी लाखों की आय मिशन रीव मॉडल के आधार पर प्राप्त की। बीते मार्च-अप्रैल में तो इसी मॉडल के आधार पर साहिल ने दो माह में दो लाख सात हजार की आय प्राप्त की।

रीव मॉडल के तहत इस तरह किया काम

साहिल ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने

सोलन-सिरमौर में वर्टीकल फार्मिंग को बढ़ावा देगा मिशन रीव

जैविक खेती को भी मिलेगा बढ़ावा



टीम रीव सोलन/सिरमौर

जंगली जानवरों और मौसम की मार झेल रहे किसानों की मदद करने के लिए मिशन रीव जल्द ही वर्टीकल फार्मिंग यानि खड़ी खेती को अपनाने में किसानों की मदद करेगा।

इसमें जहां किसानों को खड़ी खेती के बारे में विस्तार से बताया जाएगा वहीं खेती करने के लिए जरूरी ढाँचा तैयार करने और उत्पादित फसल को बाजार तक पहुंचाने में भी किसानों की मदद की जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो खड़ी खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है और इसमें उत्पादित फसल स्वास्थ के लिए लाभदायक होता है।

खड़ी खेती में पौधों के छोटे-छोटे गमले रखे जाते हैं, पाइप के द्वारा इन गमलों में उचित मात्रा में पानी पहुंचाया जाता है जिसमें पोषक तत्व मिले होते हैं जो पौधों को जलदी बढ़ने में मदद करते हैं। (एलईडी बल्ब) के द्वारा कृतिम प्रकाश बनाया जाता है।

खड़ी खेती के लाभ

बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि भविष्य की एक बहुत बड़ी समस्या होगी। आने वाले समय में खेती योग्य भूमि बहुत कम होगी ऐसे समय में वर्टीकल खेती या खड़ी खेती ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकता है। (खड़ी खेती) के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है।

खड़ी खेती क्या है?

खड़ी खेती या वर्टीकल फार्मिंग में एक

जैविक खाद में सोलन बन रहा सोल मॉडल

मिशन रीव के तहत बदल रही किसानों की आर्थिकी



टीम रीव, सोलन

आईआईआरडी हिमाचल प्रदेश को जैविक राज्य बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों को उनके गांव-घर में ही जैविक खाद बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब किसान खाद तैयार कर लेते हैं तो आईआईआरडी उसके लिए बाजार भी उपलब्ध करा रहा है। इसके चलते गांव में किसानों को अच्छी-खासी आय बिना किसी परेशानी के प्राप्त हो रही है और किसान खुशहाल हो रहे हैं। इसके साथ ही

हिमाचल को जैविक खेती की ओर ले जाने में भी मदद मिल रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत जैविक खाद से किसानों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। हाल ही में जिला सोलन में अनेक किसानों को मिशन रीव के तहत जैविक खाद के तहत खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। किसानों ने खाद तैयार की ओर इसके बाद इस खाद की पैकिंग और खरीददारों तक इसे पहुंचाने का सारा कार्य मिशन रीव के प्रतिनिधियों द्वारा ही किया गया।

इस बार सोलन से चंबा के लिए करीब 2400 किलोग्राम खाद भेजी गई। यह खाद सोलन के मायादत गांव धमकड़ी, ने मिशन रीव के तहत प्रशिक्षण लेने के बाद तैयार की। इससे पहले भी सोलन से जुबल और किन्नर को जैविक खाद भेजी जा चुकी है। गई। इससे किसानों को परेशानी भी नहीं

उठानी पड़ी और उन्हें घर बैठे आय भी प्राप्त हो गई। मायादत ने बताया कि उन्होंने मिशन रीव के तहत ही खाद बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उसके बाद खाद बनानी शुरू की।

जब खाद बनाने की शुरूआत की तो मिशन रीव प्रतिनिधियों की ओर से समय-समय पर उचित मार्गदर्शन किया गया। इसके बाद जब खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया तो मिशन रीव सचिवालय से मिशन रीव प्रतिनिधियों ने आकर खाद की पैकिंग की ओर यहीं से खाद उठा ली। इससे मायादत को करीब 12 हजार रुपए की अतिरिक्त आय घर बैठे प्राप्त हो गई। न तो खाद के लिए ग्राहक ढूँढ़ने का झंझट हुआ और न खाद को बाजार तक पहुंचाने का।

आईआईआरडी जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देकर न केवल गांव के लोगों की आर्थिकी मजबूत कर रहा है बैन्किंग प्रदेश की मिट्टी को रासायनिक खाद के द्वारा भाव से बचाने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मिशन रीव ने आसान की सैकड़ों लोगों के जीवन की राह किसी को दिलाया लोन तो किसी ने बनवाए लाईसेंस



ऊना, टीम रीव

मिशन रीव के तहत ऊना के गांवों में लोग विभिन्न सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि मिशन रीव से गांव के लोगों की जीवन आसान हो गया है। बात लोन लेने की हो, किसी काम को करने के लिए अन्नापति प्रमाण पत्र लेना हो या बिल जमा करने जैसे रोजर्मर्स के काम हो, सभी मिशन रीव के तहत आसानी से हो जाते हैं। ऊना में कई ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों के पेजिदा काम भी घर बैठे हो गए। जिला की गुगलैंड पंचायत में मिशन रीव के तहत लोन प्राप्त किया तो वहीं लोगों ने मदद की तो वहीं चार लोगों को खादी लोन दिलावा।

ऊना में तैयार हो रहा जैविक खाद का भंडार

किसानों को घर पर ही दिया विशेष प्रशिक्षण



टीम रीव, ऊना

प्रदेश के दूसरे राज्यों की तर्ज पर जिला ऊना में भी किसानों को मिशन रीव के तहत खाद बनाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला की गुगलैंड पंचायत में अनेक किसानों को मिशन रीव प्रतिनिधियों की ओर जैविक खाद बनाने की जानकारी दी गई। इसके साथ किसानों को यह भी बताया गया कि रासायनिक खाद के साथ किया जा सकता है। यहीं आप कृषि व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं तो खड़ी खेती आपके उत्पादन अधिक होगा तो किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

जैविक खाद बनाना शुरू कर दी है। खाद तैयार होने के बाद मिशन रीव के तहत इन किसानों को खाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध करावाया जाएगा।

हाल ही में सोलन में भी किसानों ने मिशन

रीव के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर जैविक खाद का भंडार तैयार किया और उस खाद की बिक्री अपने घर से ही करके बिना परेशानी झेल 10 से 15 हजार तक अतिरिक्त आय प्राप्त की। अब जिला ऊना में भी इसी तर्ज पर खाद का भंडार तैयार किया जाएगा और वहां से प्रदेश के अन्य जिलों में खाद की आपूर्ति की जाएगी।

द रीव टाइम्स

आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

मिशन रीव के अंतर्गत पूरे हिमाचल में रीव जैविक खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करावाई गई है।

इसके प्राप्त करने लिए इन दूरभास नंबरों पर


संपर्क करें.... 9459584566 और 8219175636

साथ ही आप हमारी वेबसाइट : missionriev.in/www.iirdshimla.org पर लॉगइन कर

अधिक जानकारी ले सकते हैं

पूर्ण जैविक हिमाचल की ओर बढ़ते क़दम....

रीव जैविक खाद



खाद में पीपल की तत्वों की मात्रा	Percentage

<tbl_r cells="2"

जैविक खाद के बाद अब मृदा परीक्षण की सुविधा देगा मिशन रीव



टीम रीव, बिलासपुर

प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए जैविक खाद के बाद एक और अच्छी खबर है। आईआईआरडी मिशन रीव के तहत जल्द ही बिलासपुर में मृदा परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहा है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आईआईआरडी शिमला में दिया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों में मृदा परीक्षण लैब स्थापित करने की भी योजना है। लैब में मृदा परीक्षण के लिए अत्यधिक तकनीक से लैस मशीनें स्थापित की जाएंगी जिसमें किसानों को स्टीक और समयबद्ध रिपोर्ट मिल सकेंगी।

मृदा जांच क्यों?

मृदा पोषक तत्वों का भंडार है तथा पौधों को स्वस्थ रहने में सहायता करती है। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जबकि कुछ सुख्य तत्वों की श्रेणी में आते हैं।

जबकि कुछ सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में आते हैं।

मुख्य तत्व

कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाईट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम।

सूक्ष्म तत्व

जस्ता, मैग्नीज, तांबा, लौह, बोरेन, व क्लोरीन। इन सभी तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से ही उपयुक्त पैदावार ली जा सकती है। यदि किसी भंडार से केवल निष्कासन ही होता रहे और उसमें निष्कासित मात्रा की पूर्ति न की जाए तो कुछ समय बाद वह भंडार खाली हो जाता है।

ठीक यही दशा हमारे मृदा की है। लगातार फसल उत्पादन में वृद्धि एवं बढ़ती संघर्ष खेती के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लैकिन उर्वरकों एवं रासायनिक खादों द्वारा उनकी पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। इससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है।

हमीरपुर में लोगों को विभिन्न प्रभागों के तहत मिलेंगी सेवाएं

जिसकी जैसी आवश्यकता, वैसी मिलेंगी सेवा



टीम रीव, हमीरपुर

मिशन रीव के संरक्षण दो के तहत अब लोगों को विभिन्न डिविजन के तहत सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मानव जीवन की आवश्यकताओं के आधार पर मिशन रीव में 10 डिविजन बनाए गए हैं जिसमें लोगों को उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह हमीरपुर में भी गांव के लोग इन सेवाओं का लाभ मिशन रीव के तहत ले सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य डिविजन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ गांव के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें जहां प्रदेश में 300 जनजीवित केंद्रों के माध्यम से लोगों सर्ती दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है वहीं हमीरपुर के जाहू में भी लोग जनजीवित केंद्र से सर्ती दवाईयां प्राप्त कर रहे हैं।

इसके अलावा अगर कोई मरीज अस्पताल से चैकअप करवाकर बाजार से दवाईयां या अन्य उपकरण लाने में असमर्थ है तो मिशन रीव प्रतिनिधियों की ओर से इस कार्य में भी

सहयोग किया जाएगा।

इसके बाद गांव के लोगों के जीवन का सबसे अहम हिस्सा माने जाने वाले कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए कृषि डिविजन बनाया गया है।

इसमें मृदा परीक्षण,

जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण और मानव की आपूर्ति करना शामिल है। इसके अलावा बीज और कृषि उपकरण भी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह यूटिलिटी, लाइसेंस व अन्य ऑनलाइन सर्विसेज डिविजन में सरकारी योजनाओं की जानकारी के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग किया जाएगा।



इसमें पंजीकरण, लाइसेंस, एनओसी और सर्टीफिकेट व अन्य संबंधित दस्तावेजों के निर्माण में सहयोग करना, बिजली, पानी, व अन्य रोजमरा से संबंधित यूटिलिटी सेवाएं उपलब्ध कराना जैसी सेवाएं शामिल हैं। जो

रीव मृदा जांच के उद्देश्य

मृदा की उर्वरा शक्ति की जांच करके फसल व किस्म विशेष के लिए पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा की सिफारिश करना तथा यह मार्गदर्शन करना कि उर्वरक व खाद का प्रयोग कब और कैसे करें।

मृदा में लवणता, क्षारीयता तथा अमलीयता की समस्या की पहचान व जांच के आधार पर भूमि सुधारकों की मात्रा व प्रकार की सिफारिश कर भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने में योगदान करना। फलों के बाग लगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना।

किसी गांव, विकास खंड, तहसील, जिला, राज्य की मृदाओं की उर्वरा शक्ति को मानचित्र पर प्रदर्शित करना तथा उर्वरकों की आवश्यकता का पता लगाना। इस प्रकार की सूचना प्रदान कर उर्वरक निर्माण, वितरण एवं उपयोग में सहायता करना।

प्रयोगशाला में मृदा की जांच

मृदा जांच के लिए सबसे पहले मृदा का नमूना लिया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि मृदा का नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। यदि मृदा का नमूना ठीक ढंग से नहीं लिया गया हो और वह मृदा का सही प्रतिनिधित्व न कर रहा हो तो भले ही मृदा परीक्षण में कितनी ही सावधानियां क्यों न बरती जाएं, उसकी सिफारिश सही नहीं हो सकती। खेत की मृदा का नमूना पूरी सावधानी से लेना चाहिए।

लोग अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक हैं उन्हें उद्यमिता और व्यवसाय विकास डिविजन के तहत क्षमतानुसार बेहतर व्यवसाय चयन और संसाधन जुटाने में सहयोग किया जाएगा। इसी तरह प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता संवर्द्धन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, लोन दिलाने और व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग किया जाएगा। शिक्षा और प्रशिक्षण डिविजन में शिक्षा और विभिन्न तरह के प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।



सामाजिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवा डिविजन में बच्चों और बजुर्गों की देखभाल व महिला सशक्तिकरण व अक्षम वर्ग की देखभाल से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। गांव के लोगों की ओर से तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग डिविजन सहयोग करेगा। इसी तरह संपत्ति प्रबंधन डिविजन के माध्यम से लोगों का विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा।

कांगड़ा में जनजीविति केंद्रों से मरीजों को लाभ



टीम रीव, कांगड़ा

कांगड़ा में आईआईआरडी की ओर से खोले गए जनजीविति केंद्रों से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। कांगड़ा के बनूरी, नूरपूर और पंचरुखी में प्रधानमंत्री जनजीविति केंद्र खुलने से लोगों को काफी लाभ हो रहा है। आईआईआरडी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहा है।

मिशन रीव से आसान हुआ दूरदराज के गांवों में जीवन

कांगड़ा में गांव तक पहुंचा मिशन रीव



टीम रीव, कांगड़ा

प्रदेश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को बाजार तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। लोगों की इसी समस्या को दूर करने के

लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा ज़रूरत का सामान



टीम रीव, हमीरपुर

हमीरपुर में कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए मिशन रीव के तहत जहां खेतों को रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए जैविक खेती की जानकारी दी जा रही है वहीं उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि वह कैसे जैविक खाद तैयार कर फसलों की बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को कृषि करने के लिए जरूरी उपकरण, उत्तम किस्म के बीज भी मिशन प्रतिनिधियों की ओर लोगों को उपलब्ध कराये जाएंगे।

विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बिज़ाड़ी ब्लॉक में पानी के झर्मों का वितरण किया गया। यह इम बाजार से बेहद कम दाम पर लोगों के घरों तक पहुंचाए गए। मिशन रीव के इस प्रयास की ग्रामीणों की ओर से भी खुब प्रशंसा की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले ऐसा कोई नहीं था जो घर तक आकर जरूरत का सामान पहुंचाकर दे। लेकिन अब मिशन रीव के तहत यह काम किया जा रहा है जिससे गांव का जीवन भी आसान हो गया है। अपने स्तर पर सुविधाएं देने के अलावा मिशन रीव के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी और उन योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जा सकता है इस बारे में भी मिशन

लोगों की जरूरतें समझने के लिए विशेष अभियान स्वयं कर सकेंगे अपनी आवश्यकताओं का आकलन



टीम रीव, मण्डी

मण्डी जिला में मिशन रीव संस्करण—दो के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए मिशन प्रतिनिधि गांव—गांव जाकर लोगों से उनकी जरूरतों को पूछेंगे और ऑनलाईन ही उन आवश्यकताओं का आकलन करेंगे। इसके अलावा मिशन के सदस्यों और गैर सदस्य स्वयं भी ऑनलाईन ही अपनी आवश्यकताओं का आकलन कर मिशन रीव की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें गांव के लोगों को मिशन रीव संस्करण—दो के तहत उन सेवाओं की जानकारी दी जाएगी जो संस्करण एक में नहीं थी। इसके साथ ही लोगों को यह भी बताया जाएगा कि इन सेवाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है।

चरण इसके सदस्य बनने से आरंभ होता है। सदस्य बनने के लिए सर्वप्रथम ऑनलाईन फॉर्म भरे जाते हैं। इसमें कुछ आधारभूत औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। सदस्यता लेने के साथ ही आम जन अपनी वित्तीयों को रीव के साथ साझा करने व समाधान के लिए संबद्ध हो जाता है। इसमें उसका परिवार भी सेवाओं के लाभ का पात्र बन जाता है। द्वितीय संस्करण में सदस्यता प्रारूप अब और भी आसान और सरल प्रक्रिया है। इसमें कुछ भी प्रकार की यह एक अनुठी पहल है। शर्तों को स्वीकार करने की यह एक अनुठी पहल है। शर्तों को स्वीकार करने के साथ ही मिशन रीव के स्वयंसेवक आपकी आवश्यकता आकलन को आधार बनाकर एक निश्चित समय के अंदर समाधान के लिए अनुबंधित हो जाते हैं।

इसी तरह होगा आयुर्वर्ग के अनुसार आकलन आवश्यकता आकलन के माध्यम से सभी वर्गों की आवश्यकताओं का आकलन होगा। ये आयु वर्ग हैं: 0-6, 7-12, 13-18, 19-25, 26-35, 36-50, 51-60, 61-70 तथा 71 वर्ष की आयु से उपर का वर्ग। सदस्यता लेने के बाद संबंधित आयु वर्ग के सदस्य अपनी आवश्यकताओं का आकलन ऑनलाईन कर पाएंगे और आपको मिलेगा अपनी हर समस्या का समाधान।

सोलर पंप योजना को लोगों तक पहुंचाएगा मिशन रीव जानकारी से लेकर पंप लगाने तक में सहयोग करेंगे मिशन रीव प्रतिनिधि



टीम रीव, कुल्लू

अगर आप सरकार की किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी जानकारी के लिए आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसी भी सरकारी योजना की जानकारी अब आपको मिशन रीव प्रतिनिधि आपके घर पर ही उपलब्ध करा देंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने में भी मिशन रीव प्रतिनिधि पूरा सहयोग करेंगे। इसी अभियान के तहत अन्य सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के किसानों तक पहुंचाने में भी मिशन रीव सहयोग कर रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जिला कुल्लू में भी किसानों को इस योजना का लाभ लेने में सहयोग किया जाएगा।

क्या है सौर पंप योजना

साल 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए सौर पंप योजना की तरफ से नियमित वित्तीय सहायता देगी।

सोलर पंप सेट खरीदने पर 90 से 100 फीसदी तक सब्सिडी देने का फैसला किया है। कृषि और बागवानी उपज बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस साल के बजट में 20

करोड़ रुपये से सौर पंप योजना की शुरुआत की है। सौर पंप योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2018 से की गयी है।

इसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप खरीदने पर 90-100



संघ/पंजीकृत निकाय के किसान समूह को सौलर पंप सेट पर 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता देगी।

जरूरी दस्तावेज़

हिमाचल प्रदेश में निवास का स्थाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जमीन के स्वोत का प्रावधान होने पर 100 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है।

फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। योजना के मुताबिक अगर किसान अकेले पंप लगवाना चाहता है तो पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से 90 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है।

जबकि समूह बनाकर पंप लगवाने और पानी के स्वोत का प्रावधान होने पर 100 फीसदी

सब्सिडी का प्रावधान है।

कीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। योजना के मुताबिक अगर किसान अकेले पंप लगवाना चाहता है तो पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से 90 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है।

जबकि समूह बनाकर पंप लगवाने और पानी के स्वोत का प्रावधान होने पर 100 फीसदी

सब्सिडी का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि इस खाद को तैयार करने के लिए जीरो बजटिंग खेती के तहत

किसानों का कहना है कि गांव में जैविक खाद को लेकर अपार संभावनाएं हैं क्योंकि गांव में कृषि और पशुधन ही लोगों की आय का मुख्य साधन है। ऐसे में किसान जहां अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर बेहतर फसल प्राप्त कर सकेंगे वहीं इसे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।

गया है। इसी योजना के तहत जिला सोलन के किसानों द्वारा तैयार खाद को चंबा और किन्नौर में किसानों की मांग के मुताबिक मुहूर्या करवाया गया।

किसानों का कहना है कि गांव में जैविक खाद को लेकर अपार संभावनाएं हैं क्योंकि गांव में कृषि और पशुधन ही लोगों की आय का मुख्य साधन है। ऐसे में किसान जहां अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर बेहतर फसल प्राप्त कर सकेंगे वहीं इसे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।

गया है। इसी योजना के तहत जिला सोलन के किसानों द्वारा तैयार खाद को चंबा और किन्नौर में किसानों की मांग के मुताबिक मुहूर्या करवाया गया।

किसानों का कहना है कि गांव में जैविक खाद को लेकर अपार संभावनाएं हैं क्योंकि गांव में कृषि और पशुधन ही लोगों की आय का मुख्य साधन है। ऐसे में किसान जहां अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर बेहतर फसल प्राप्त कर सकेंगे वहीं इसे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।

गया है। इसी योजना के तहत जिला सोलन के किसानों द्वारा तैयार खाद को चंबा और किन्नौर में किसानों की मांग के मुताबिक मुहूर्या करवाया गया।

किसानों का कहना है कि गांव में जैविक खाद को लेकर अपार संभावनाएं हैं क्योंकि गांव में कृषि और पशुधन ही लोगों की आय का मुख्य साधन है। ऐसे में किसान जहां अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर बेहतर फसल प्राप्त कर सकेंगे वहीं इसे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।

गया है। इसी योजना के तहत जिला सोलन के किसानों द्वारा तैयार खाद को चंबा और किन्नौर में किसानों की मांग के मुताबिक मुहूर्या करवाया गया।

किसानों का कहना है कि गांव में जैविक खाद को लेकर अपार संभावनाएं हैं क्योंकि गांव में कृषि और पशुधन ही लोगों की आय का मुख्य साधन है। ऐसे में किसान जहां अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर बेहतर फसल प्राप्त कर सकेंगे वहीं इसे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।

गया है। इसी योजना के तहत जिला सोलन के किसानों द्वारा तैयार खाद को चंबा और किन्नौर में किसानों की मांग के मुताबिक मुहूर्या करवाया गया।

किसानों का कहना है कि गांव में जैविक खाद को लेकर अपार संभावनाएं हैं क्योंकि गांव में कृषि और पशुधन ही लोगों की आय का मुख्य साधन है। ऐसे में किसान जहां अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर बेहतर फसल प्राप्त कर सकेंगे वहीं इसे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।

गया है। इसी योजना के तहत जिला सोलन के किसानों द्वारा तैयार खाद को चंबा और किन्नौर में किसानों की मांग के मुताबिक मुहूर्या करवाया गया।

किसानों का कहना है कि गांव में जैविक खाद को लेकर अपार संभावनाएं हैं क्योंकि गांव में कृषि और पशुधन ही लोगों की आय का मुख्य साधन है। ऐसे में किसान जहां अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर बेहतर फसल प्राप्त कर सकेंगे वहीं इसे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।

गया है। इसी योजना के तहत जिला सोलन के किसानों द्वारा तैयार खाद को चंबा और किन्नौर में किसानों की मांग के मुताबिक मुहूर्या करवाया गया।

किसानों का कहना है कि गांव में जैविक खाद को लेकर अपार संभावनाएं हैं क्योंकि गांव में कृषि और पशुधन ही लोगों की आय का मुख्य साधन है। ऐसे में किसान जहां अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर बेह

आओ कानून को जानें

बाल श्रम या बाल मजदूरी क्या है

द रीव टाइम्स ब्लूग

बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक घटना है।

जहां तक भारत का संबंध है, ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा है क्योंकि भारत में बच्चे पुराने समय से ही अपना माता-पिता के साथ खेतों में और अन्य प्रारम्भिक कार्यों में मदद करते हैं।

एक इससे ही संबंधित अन्य अवधारणा जिसकी इस समय व्याख्या करने की ज़रूरत है, वो है बंधुआ मजदूरी, जो शोषण का सबसे सामान्य रूप है। बंधुआ मजदूरी का अर्थ,

माता-पिता द्वारा अत्यधिक ब्याज की दरों की अदायेगी के कारण, कर्ज के भुगतान के लिये बच्चों को मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिये मजबूर करना है।

बंधुआ मजदूर की अवधारणा से जुड़ी अवधारणा शहरी बाल मजदूर अवधारणा है जहां मजदूर गली के बच्चे होते हैं जो अपना लगभग पूरा बचपन गलियों में मजदूरी करते हुये व्यतीत कर देते हैं।

यूनीसेफ ने बाल मजदूरी को 3 श्रेणी में विभाजित किया है:

- परिवार के साथ – बच्चे घर के कार्यों में बिना योगी वेतन के लगे होते हैं।
- परिवार के साथ पर घर के बाहर – उदाहरण के लिए, कृषि मजदूर, घरेलू मजदूर, सीमान्त मजदूर आदि।
- परिवार से बाहर – उदाहरण के रूप में, व्यवसायिक दुकानों जैसे: होटलों में बच्चों से कार्य कराना, चाय बेचने का कार्य कराना, वैश्यावृति आदि।



या घरेलू कार्यों को करने के लिये तैयार नहीं होते।

राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कर्मनियाँ भी कपड़ों के उद्योग में अधिक काम और कम वेतन के भुगतान के लिये बच्चों को भर्ती करती हैं जो बिल्कुल अनैतिक है।

• भारत में बाल मजदूरी को रोकने के लिये बनाये गये प्रारम्भिक कानून जब बना तब बाल रोजगार अधिनियम 1938 पारित हुआ। ये अधिनियम बड़े दुखान्त अंत के साथ असफल हुआ। इसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण गरीबी का होना था क्योंकि निर्धनता बच्चों को मजबूरी करने के लिये मजबूर करती है।

• भारतीय संसद ने बाल श्रम या मजदूरी से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर कानून और अधिनियम पारित किये हैं। 14 साल की आयु से कम के बच्चों को किसी फैक्ट्री या खदानों में या खतरनाक रोजगारों (जहां जान जाने का ज्यादा जोखिम हो) में बाल मजदूरी को निषेध करने के लिये हमारे संविधान में अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों को स्थापित किया गया है। इसके अलावा, अनुच्छेद 21 को अन्तर्गत, ये भी प्रावधान किया गया है कि, एक राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा के लिये सभी आधारिक संरचना और संसाधन उपलब्ध करायेगा।

• संविधान के तहत बच्चों की बाल श्रम से सुरक्षा का नियमन करने के बाले कानूनों का एक समूह मौजूद है। कारखाना अधिनियम 1948, 14 साल तक की आयु वाले बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है। खदान अधिनियम 1986, 18 साल से कम आयु वाले बच्चों का खदानों में काम करना निषेध करता है।

• बाल अधिनियम (निषेध एवं नियमन) 1986, 14 साल से कम आयु वाले बच्चों को जीवन को जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में, जिन्हें कानून द्वारा निर्धारित की गयी सूची में शामिल किया गया है, में काम करना निषेध करता है। इसके अलावा, बच्चों का किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 ने बच्चों के रोजगार को एक दंडनीय अपराध बना दिया है।

बाल मजदूरी से लड़ने में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका

बाल मजदूरी के उन्मूलन पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आई.पी.ई.सी.एल.), अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के अन्तर्गत 1991 में, बाल मजदूरी के बारे में जागरूकता का निर्माण एक वैश्विक मुद्दे के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करके, बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिये शुरू किया गया था। भारत बाल श्रम का मुकाबला करने में मदद करने के लिए आई.पी.ई.सी.एल. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राष्ट्र था।

राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम (एन.सी.एल.पी.), उन मुख्य कार्यक्रमों में से एक है जो पूरे देश में शुरू किया गया था जिसमें वर्ष 1988 में, सात बाल श्रम कार्यक्रम शुरू किये गये थे। पुर्ववास, भारत सरकार द्वारा, भारत में बाल श्रम की घटनाओं को कम करने के लिये अपनायी गयी प्रमुख नीतियों में से एक है।

बाल मजदूरी का कैसे उन्मूलन करें

बच्चों के अवैध व्यापार का अंत, गरीबी का उन्मूलन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और जीने का सामान्य स्तर, बड़े स्तर पर समस्या को कम कर सकता है। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, गरीबी के उन्मूलन के लिये विकासशील देशों को ऋण प्रदान करके मदद करते हैं।

दलों या बहुराष्ट्रीय कार्यक्रमों द्वारा शोषण को रोकने के लिये श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन करना बहुत अवश्यक है। वर्तमान बाल श्रम निषेध कानूनों को कड़ाई से लागू करके रिस्ति को नियन्त्रित करने के लिये बहुत से संशोधनों की आवश्यकता है। निम्नतन सीमा 14 साल को कम से कम 18 साल तक बढ़ाने की आवश्यकता है। जोखिम वाले कार्यों की सूची जो कानून के अन्तर्गत है, उसमें और अधिक व्यवसायों को शामिल करने की आवश्यकता है जिन्हें खतरनाक गतिविधियों के दायरे से बाहर रखा गया है।

लोकसभा ने 26 जुलाई 2016 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन विधेयक 2016 पारित कर दिया। संशोधित विधेयक में सभी व्यवसायों या उद्योगों में चौदह साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना प्रतिवंधित किया गया है।

संशोधन के मुख्य तथ्य-

- इस विधेयक के अनुसार चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना संज्ञेय अपराध माना जायेगा।
- इसके लिए नियोक्ता के साथ-साथ माता-पिता को भी दंडित किया जाएगा।
- विधेयक में चौदह से अठारह वर्ष के बीच के बच्चों को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इस आयु वर्ग के बच्चों से किसी खतरनाक उद्योग में काम नहीं कराया जाएगा।
- किसी बच्चे को काम पर रखने पर कैद की अवधि छह महीने से दो साल तक बढ़ा दी गयी है।
- अभी तक इस अपराध के लिये तीन महीने से एक साल तक की कैद की सजा का प्रावधान था।
- जुर्माना बढ़ाकर बीस हजार रुपये से पचास हजार रुपये तक कर दिया गया है।
- दूसरी बार अपराध करने पर एक साल से तीन साल तक की कैद का प्रावधान है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा

कानूनी सलाहकार आईआईआरडी

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याएं सादर आमंत्रित हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे therievtimes@iirdshimla.org hem.raj@iirdshimla.org

ऑफिस में ऐसा करने से स्पराब हो सकती है आपकी इमेज, इन बातों का स्वर्वेध्यान

द रीव टाइम्स ब्लूग

वर्कलेस और घर एक जिंदगी के दो हिस्से होते हैं। दोनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप घर जैसा व्यवहार ऑफिस में करें और घर पर ऑफिस जैसा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ आदतें आपके व्यवहारित को नुकसान पहुंचाती हैं। खास तौर पर तब, जब आप यह सोचने लगते हैं कि आपका काम परकृत है और आप ऑफिस में कुछ भी कर सकते के लिए स्वतंत्र हैं।

• यदि रखें कि आपकी हर एक गतिविधि का असर आस-पास रहने वाले लोगों पर पड़ता है। आप काम में कितने ही अच्छे क्यों न हों, आपकी आदतें सही न हों तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि आपने पर्सनेलिटी को निखारने पर जो दो दो और एक लोगों द्वारा लोगों को हमेशा ही राइट साइड पर रखें। इसलिए ज़रूरी है कि आपने पर्सनेलिटी को हमेशा ही राइट साइड पर रखें।

• ऑफिस में अन्तर्राष्ट्रीम रहना हमेशा ही फायदेमंद रहता है। कभी-कभी आप लेट हैं, तो यह चल जाता है। लेकिन देरी से ऑफिस पहुंचना आपकी आदत बन जाए, तो यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। हर रोज एकसमय जून की आदत है। आप वास्तव में किसी परेशानी का समाना कर रहे हैं और इस वजह से देरी से ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो इस बारे में अपने बॉस को ज़रूर बताएं। वर्कलेस पर वर्किंग आवर इसलिए निर्धारित किए जाते हैं, ताकि सबके लिए समान अनुशासन लागू किया जाए।

• ऑफिस में बॉस के प्रति ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। आप जिस कंपनी अन्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के प्रति आपके कार्य एवं दक्षता में एक फैमिली मैंबर या दोस्तों से इसकी चर्चा कर सकते हैं। उनकी राय ले सकते हैं। जैसे ही आपकी पर्सनेलिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

• ऑफिस और घर



पर्यावरण अंतर: चर्चा का विषय ही क्यों बने, एक्शन का क्यों नहीं

पर्यावरण लगभग पिछले दो दशकों से वैश्विक चर्चा का अहम विषय बना रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते, कार्यक्रम तथा आयोजन होते रहे। कार्यक्रमों को जीवन यापन की पद्धति (लाइफलीहुड) से जोड़कर अभी तक के सबसे बड़े वित्तपोषी कार्यक्रमों में स्थान मिला। समृद्ध देशों ने कार्बन उत्सर्जन के समाधान के लिए विकासशील देशों को वनीकरण बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयास किए ताकि विकसित देशों में स्थित उद्योगों से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड विकासशील देशों में तैयार हो रहे जंगल सोख सके। लेकिन ऐसे प्रयास लगभग 8-10 वर्षों के अंतराल में सिकुद्दते गए। भारत सरकार ने भी जलागम (वाटरशैड डेवेलपमेंट) परियोजना जैसे कार्यक्रम पर्यावरण की दृष्टि से लोगों की रोजी-रोटी को जोड़ते हुए आरंभ किए लेकिन परियोजनाओं के सरकारीकरण से यथेच्छा परिणाम नहीं मिल सके। देश में विकास की गति का पहिया बढ़ने लगा तथा ढांचागत व्यवस्था बदलने लगी। चौड़ी सड़कें, बहुमंजिली इमारतें व उद्योगों आदि का विस्तार होने लगा है। ऐसे में जंगलों पर सबसे अधिक दबाव बढ़ने लगा तथा अनगिनत संख्या में पेड़ कटने लगे, जिनका कटना अपरिहार्य भी है। लेकिन इनके बदले पेड़ों को लगाने, बचाने तथा बढ़ा करने का पहलु दृष्टिगोचर होता नहीं। हर परियोजना में पर्यावरण स्वीकृति इस शर्त पर मिलती है कि परियोजना से होने वाले पर्यावरण की नुकसान की भरपाई अधिक पेड़ लगाकर हो। इस कार्य हेतु वन विभाग के पास हरवर्ष करोड़ों रुपये जमा भी होते हैं।

इसके अतिरिक्त वन विभाग का अपना भी वनीकरण का वार्षिक बजट होता है। केन्द्र सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय से आने वाली धनराशि अतिरिक्त होती है। इस राशि को खर्च करने के लिए भारतीय सेवा स्तर के अधिकारियों का एक बड़ा दल प्रयुक्त है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी पहाड़ियां नंगी होती जा रही हैं। पेड़ों के बाहुल्य के विपरीत वनाच्छादित भूभाग व्यवहारिक दृष्टि से कम होता जा रहा है, यदि सरकारी आंकड़ों की अनदेखी करें तो। हर वर्ष लाखों पौधों व पंछी वनाग्नि का शिकार हो जाते हैं और अभी तक हमारे पास इसका सामना करने का कोई उपाय नहीं है। वन माफिया आज भी हज़ारों की संख्या में चुपचाप पेड़ काटकर जंगल के जंगल साफ कर रहा है। इसका खुलासा हाल ही में शिमला के ननखड़ी क्षेत्र से चोरी हुई लकड़ियों की तहकीकात से हुआ, जहां पता चला कि जम्मू-कश्मीर के कुछ चीरानी कई वर्षों से इस गोरखधंधे में लिप्त हैं। लेकिन कार्यवाही के नाम पर व्यवस्था के पास किंतु-परंतु के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आखिर ये सब बातें हमें दिखती क्यों नहीं? तथा हमारे मस्तिष्क को झकझोर क्यों नहीं देती? क्या



यह हमारी संवेदनहीन मानसिकता का परिणाम है? या बाड़ ही चोरी करना सीख गई है, ये प्रश्न जस के तस बने रहेंगे। प्रदेश में वनीकरण को सतत विकास तथा जवाबदेही के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया को विभागीय परिधि से कुछ बाहर निकालकर जनमानस के लाभ के साथ सम्मिलित करना होगा। हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में वनों की निशानदेही का कार्य करने के बाद वनीय भू-भाग को श्रेणीवार बांटा जा सकता है, जैसे कि समृद्ध, घना जंगल, पतला जंगल, बिना पेड़ का भूभाग आदि। पंचायत में ही 10-15 ऐसे साधन विपन्न परिवारों का चयन किया जा सकता है जो खाली जगह तथा पतले जंगल को घने जंगल में परिवर्तित करने का मादा रखते हैं। चयनित भूभाग को पांच वर्षों तक देख-रेख के लिए अनुबंध करके सौंपा जा सकता है और उनका वार्षिक मानदेय मनरेगा से जोड़कर व्यवस्थित किया जा सकता है।

डा. एल.सी. शर्मा
प्रधान संपादक
md@iirdshimla.org

The Journey Continues ...



"You should never view your challenges as a disadvantage. Instead, it's important for you to understand that your experience facing and overcoming adversity is actually one of your biggest advantages". -- Michelle Obama

When we look back at Mission RIEV one-year journey, that's exactly what we did. The challenges were never perceived as a disadvantage, instead of overcoming them and converting them into opportunity was our prime objective. And you, we didn't fail. At the same time, we didn't succeed fully but there's a sense of satisfaction amongst us that we were able to make a visible impact in people's life. In the initial phase, we focussed upon enrolling members for Mission RIEV and within few months we had around 3000 plus registered members. It may be noted that initially we had a few services to offer them but it's the confidence and the belief of people on us that made us work even harder. Not only did we provide services such as pathological tests and very competitive rates at the doorsteps of people, we also mobilized people from villages to convert their bio-waste into a sustainable business model. Today, we can proudly say that we have conducted more than 5000 pathological tests, identified major lifestyle diseases and provided medical advises and medicines through our 12 Generic Medical Outlets. Over and above, we have created a stock of more than 150000 kg of organic manure, all this under buy-back scheme, wherein we invest and share the tech-knowhow with people and create an ecosystem wherein not only we develop a sustainable business model but also create awareness against rampant usage of chemical fertilizer in the State...a small step towards the

larger goal of making the farming and the farmland environmental-friendly and an organic State. Not to forget the employment opportunity given to more than 3000 youths of the State. Mission RIEV through its initiatives saw more than 30% of youths doing reverse migration from cities to their respective villages. And are they feeling proud of it... your guess is as good as mine.

This doesn't take away the challenges we faced such as 1) Managing large human resources 2) Implementing various initiatives 3) Monitoring the implementation of initiatives and the most challenging 4) Resource mobilization 5) Mud slugging by vested interest, which included few media houses. Lesson learned... that too, a hard way!! Where we perturbed, not at all. Our resolve got even stronger and on September 15, 2018, we announced the Version 2 of Mission RIEV, which was successfully launched on 2nd October 2018, the founding day of Mission RIEV.

The journey of Mission RIEV can be best described by quoting famous couplets of Majrooh Sultanpuri...

मैं अकेला ही चला था जानिब-ए-मौज़िल मगर लोग साथ आते गये और कारवां बनता गया

What is there in Version 2 of Mission RIEV? Well, it comes with complete transparency, complemented by a robust IT platform and user-friendly interface. Each employee under Mission RIEV Version 2 will have either a tablet, laptop or desktop to work. His work and efforts will instantly get reflected on the dashboard. The ownership of the gadget shall be theirs (T&C applies) and through this, they will be providing 10 types of services such as

health, property management, rural market produce, banking & finance, agriculture, education, utility & license, online services, entrepreneur & business development, publishing & printing. All these after getting the need assessment of each member of the family. Over and above this, people now have an option of becoming a Paid Annual Member, Life Member or Voluntary Membership which is for free. Each of these categories gives many benefits and few of them are for free too. With new, dynamic and robust platform which includes portal, gives complete transparency on the functioning of Mission RIEV Version 2. Needless to say, our entire team is excited and are already in the field. There's much to what I have mentioned here and many more to come in near future. Come, check and browse our new portal www.missionriev.in ... it's a world of opportunity waiting for everyone... come and be part of this journey. And for those who have left us for whatever reasons, we welcome you all and together let's make a difference in people's life. It's just a beginning... let's take a small step towards serving humanity as a whole.

I would like to end my note with a famous quote from Helen Keller -- "Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved."

That's Mission RIEV V2 for you. Come, be part of 21st centuries renaissance!!

Anand Nair, Managing Editor
anand@iirdshimla.org

सेब-किन्नू से तपोवन में विधानसभा सत्र की राजनीति तक

लो विधानसभा परिसर जगत से ज्यादा राजनीतिक मजबूती

पांच से छह दिन के शीतसत्र में खर्च हो जाते करीब एक करोड़

नेताओं-नौकरशाहों की आवभगत और सुरक्षा पर ही खर्च हो जाता है लाखों

अंजना ठाकुर (सहायक संपादक)
anjna@iirdshimla.org

हिमाचल प्रदेश में ऊपरी हिमाचल व निचला हिमाचल, शिमला व कांगड़ा तथा सेब और किन्नू के नाम पर लंबे समय से खूब राजनीति होती रही है। वर्ष 2006 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से धर्मशाला में शीतकालीन सत्र की शुरुआत कर इस खाई को पाटने का प्रयास किया गया। दावा किया गया कि धर्मशाला में सत्र की शुरुआत ऊपरी हिमाचल और निचले हिमाचल के बीच भेदभाव के मिथ को तोड़ेगी। कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, और साथ लगते जिलों के लोगों और सरकार के बीच की खाई पाटना तपोवन में शीतसत्र आयोजित करने के पिछे सबसे बड़ा तर्क रहा था। लेकिन आज 12 साल बाद भी जमीनी हकीकत यह है कि तपोवन में विधानसभा सत्र की पंपांगा को निभाना जरूरत से कहीं ज्यादा हर सरकार की मजबूती बन गई है। समय - समय पर बड़े नेताओं के भी बयान आते हैं कि तपोवन में विधानसभा का प्रयोग सत्र के साथ ही किसी अर्थपूर्ण कार्य के लिए भी किया जाना चाहिए। पुर्व में विधानसभा के ही एक सत्र के दौरान तत्कालीन विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने सरकार से जानकारी मांगी थी कि धर्मशाला में शीतकालीन सत्र आयोजित करने पर कितना खर्च होता है। इस पर जो जवाब आया उससे जनप्रतिनिधियों को भले हैरानी न हो लेकिन आम आदमी को हैरान - परेशान करने के लिए यह आंकड़ा काफी था। जानकारी के मुताबिक इंद्र सिंह के सवाल पर सरकार ने तीन सालों का आंकड़ा दिया और लिखित जवाब देते हुए बताया कि विधानसभा शीत सत्र के दौरान हर साल



औसतन एक करोड़ से अधिक रुपये खर्च हो रहे हैं। हिमाचल सरकार पांच से छह दिन के शीतकालीन सत्र पर ही हर साल औसतन 1 करोड़ 43 लाख का खर्च करती है। सरकार ने बताया कि तीन वर्षों में शीतकालीन सत्र पर 4 करोड़ 31 लाख का खर्च किया है। इसमें जीएडी से लेकर रहने, खाने और सुरक्षा सभी का खर्च शामिल था। इसमें रहने और खाने पर ही 2013 में 1 करोड़ 35 लाख 21 हजार 982, वर्ष 2014 में 1 करोड़ 11 लाख 22 हजार 654 और 2015 में 92 लाख 47 हजार 886 रुपये खर्च किए हैं। सुरक्षा पर वर्ष 2013 में 11 लाख 91 हजार 104, वर्ष 2014 में 11 लाख 37 हजार 694, 8 लाख 51 हजार 934 रुपये खर्च किए हैं। वाहनों पर वर्ष 2013 में 18 लाख 89 हजार 373, वर्ष 2014 में 20 लाख 293 रुपए, 19 लाख 01 हजार 778 रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ-साथ यात्रा और दैनिक भर्ते पर वर्ष 2013 में 1 लाख 11 हजार 482, 2014 में 1 लाख 17 हजार 781 और वर्ष 2015 में 1 लाख 02 हजार 46 रुपये खर्च किए हैं। कुल मिला कर हर वर्ष धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र का आयोजन करने में सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लग रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बीबीएल बुटेल ने मीडिया के सामने स्वीकार किया

था कि, "तपोवन स्थित विधानसभा भवन परिसर का फायदा तभी है जब इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। उन्होंने कहा कि वर्ष में सिर्फ दो-चार दिन विधानसभा सत्र आयोजित होने से इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है।" अभी हाल ही 10 से 15 दिसंबर तक तपोवन में विधानसभा के शीतसत्र का आयोजन किया गया। कई प्रस्ताव पास हुए, चर्चाएं भी हुई लेकिन यह भी सच है कि जनता के एक करोड़ के मुकाबले यह एक अर्थहीन कवायद है। यह सभी कार्य इससे आधे खर्च में भी किए जा सकते थे। उल्लेखनीय है कि तपोवन में एक सेशन आयोजित करने पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च आता। मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों सहित पूरी सरकार को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करना पड़ता है। बीते कुछ वर्षों के आकलन में पाया गया कि इस खर्चोंली कवायद का वहाँ की जनता को कोई लाभ नहीं मिला। स्थानीय समस्याओं की सुनवाई के नाम पर मात्र औपचारिकताएं ही निभाई जाती रही हैं। धर्मशाला में विधानसभा सत्र को सही ठहराने के लिए कई बार जम्मू-कश्मीर का उदाहरण सामने रखा गया। इस बात को नजर राजनीति के इस मामले में हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की परिस्थितियां समान नहीं हैं। जम्मू से श्रीनगर की दूरी बहुत अधिक है। श्रीनगर (कश्मीर) में बहुत बर्फ गिरती है और ठंड भी बहुत होती है। ऐसे में वहाँ दो विधानसभा परिसर होना गलत नहीं है। लेकिन शिमला और धर्मशाला में दूरी इतनी ज्यादा नहीं है और ठंड भी लगभग बराबर ही पड़ती है। जम्मू-कश्मीर में दो विधानसभा सत्र भौगोलिक परिस्थितिवश एक मजबूती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह मात्र राजनीतिक मजबूती।

स्मार्ट सिटी से पहले की प्राथमिकता स्वच्छता की है

सबसे अधिक अस्वच्छता कुत्तों एवं बंदरों की गंदगी से है

हेमराज चौहान (सहायक संपादक)
chauhan.hemraj09@gmail.com



शिमला में आवारा कुत्तों एवं बंदरों के अलावा पालतु कुत्तों की लगातार बढ़ती संख्या से अस्वच्छता का वातावरण बन चुका है। समय-समय पर प्रशासन के बयान और कार्यालयों की खबरें तो सुनी जाती हैं लेकिन हकीकत में कार्यालयों के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। शिमला के रास्तों पर चलना तक मुश्किल हो रहा है। लोगों ने पालतु कुत्तों के लिए रास्तों एवं पार्क अथवा सार्वजनिक स्थानों को गंद करने के लिए चयनित किया हुआ है। इससे सारा गंद कहीं न कहीं वर्षा आदि के पानी के साथ मिलकर प्राकृतिक स्रोत एवं पीने के पानी के स्रोतों में मिलकर इसे दूषित कर रहा है।



यह बात समय-समय पर हमेशा उठती रही है कि शिमला में आवारा एवं पालतु कुत्तों की समस्या का समाधान प्रशासन / नगर निगम समय रहते करे, किंतु नगर निगम इसमें कामयाब नहीं हो पाया। कुछ समय के लिए कपी-कभार गाड़ियों में मॉल रोड़ और रिज पर आराम फरमाते कुत्तों को पकड़कर कहीं ले जाया जाता है और बाद में वही आवारा कुत्ते रिज और मॉलरोड़ पर ही फिर से आराम फरमाते मिल जाते। अब तो रिथित इतनी खराब हो चुकी है कि शिमला में पर्यटकों को दिक्कत हो ही रही है साथ ही यहाँ के बाशिंदों को भी अब इस समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। आए दिन लोगों को काटने के मामले सामने आते हैं। मॉल और रिज पर तो कुत्तों का गंद न केवल यहाँ की सुंदरता की पोल खोलता है अपितु स्वच्छता के प्रति सरकार और नगर निगम के रवैये को भी दिखाता है। हालांकि सफाई कर्मचारी सारा दिन रिज पर घोड़ों और कुत्तों की गंदगी को साफ करने के लिए मुस्तैद रहते हैं। परन्तु क्या समस्या का निदान यही है कि इन आवारा कुत्तों को रिज और मॉल रोड़ जैसे पांश इलाकों में अपना अड़ा बनाने दिया जाए और उनके द्वारा फैलाई जा रही हरतरफ की गंदगी को साफ करने के लिए कर्मचारी की मुस्तैदी सारा दिन रहे।

पालतु कुत्तों के मालिकोंको लगाया जाए टैक्स

पालतु कुत्तों को पालने वाले शौकीनों को टैक्स देने के लिए नगर निगम कोई उचित कदम उठाए। इन शौकीनों के कारण पूरे शिमलावासियों एवं यहाँ आने वाले दुनियाभर के पर्यटकों को गंदगी एवं पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। और ये शौकीन अपने रंग - बिरंगी प्रजातियों के इन कुत्तों को सड़क पर बड़ी शानोशोकत से घुमाते हुए सड़क के बीच में ही गंदगी करवाते हैं। नगर निगम को अब इसके लिए कारगर कदम उठाने चाहिए और पालतु कुत्तों पर टैक्स लगे ताकि सड़क, रास्तों आदि में पूरा दिन की जा रही गंदगी को रोका जा सके। यह जिम्मेवारी भी कुत्तों के मालिकों की है कि यदि कुत्ता सार्वजनिक स्थानों में गंदगी करता है अथवा रास्तों एवं सड़क पर भी तो उसे साफ भी उसे ही करना है।

बंदरोंका आतंक ही नहीं गंदगी भी परेशानी का सबब



यही हाल शिमला में बंदरों की संख्या में हो रही बढ़ती है भी हो रहा है।

ऐसा नहीं कि बंदरों से शहरवासियों एवं पर्यटकों को मात्र खतरा ही है, उनसे हो रही गंदगी भी पानी को दूषित कर रही है। शिमला में ऐसे कितने ही स्थान हैं जहाँ पानी की टंकियों के ढक्कन खोलकर या तोड़कर उसमें बंदर उछलकूद करते रहते हैं और वही जल लोग उपयोग में ला रहे हैं। एक लंबे समय तक ज़िलाधीश कार्यालय के पास भी लगी सभी टंकियों में बंदर गंदगी करते, नहाते और उसी जल को उपयोग में लाया जाता। ऐसा शिमला के अनेक स्थानों में हो रहा है। बंदरों की गंदगी भी हर घर, छत, सड़कों, रास्तों, पानी की टंकियों, जलटैंक आदि पर समस्या को गंभीर बना रहा है। यहीं गंदगी अंततः जल स्रोतों में घुलती है और सबकी परेशानी का कारण बनती है।

सीवरेज व्यवस्था भी दुरुस्त



आए दिन शिमला में स्वच्छता की पोल खोलते सीवरेज के गड्ढे और जहाँ-तहाँ से टूटी हुई पाईंपें के कारण चलना भी दुभर हो गया है। सीवरेज व्यवस्था आरंभ से ही शिमला की सबसे बड़ी कमज़ोरी कही जा सकती है जिसे आज भी दुरुस्त नहीं किया जा सका है। पुरानी सीवरेज की पाईंपें, ब्लॉकेज आदि से सड़कों एवं रास्तों पर कई बार गंदगी की बाढ़ आ जाती है और शिमला में चलना भी दुभर हो जाता है। यह भी पानी से मिलकर जल स

अशिवनी खड़क का मामला: दो महीनों में शिमला की प्लास्टिक नदी के सफाई का आदेश



द रीव टाइम्स ब्लूरो

हिमाचल प्रदेश के शिमला में महत्वपूर्ण पेयजल स्रोत अशिवनी खड़क के प्लास्टिक कचरे वाली नदी में तब्दील हो जाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिभ्युनल (एनजीटी) ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।

पीठ ने अगली सुनवाई में शिमला नगर निगम और सोलन नगर पालिका के कमिशनर और सोलन नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तलब किया है। पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले में यह आदेश दिया है।

पीठ ने कहा कि अशिवनी खड़क से जुड़ने वाले

छोटे-बड़े सभी नालों में ऐसे जाल लगाए जाने चाहिए जो ठोस कचरा समेत प्लास्टिक कचरे को खड़क पहुंचने से पहले ही रोक लें।

पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा

एनजीटी ने कहा कि शिमला नगर निगम और सोलन नगर पालिका अशिवनी खड़क की पूरी तरह सफाई करने के बाद आदेश अनुपालन की रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करें। एनजीटी का यह आदेश हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीसीबी) की तरफ से ट्रिभ्युनल में दाखिल हलफनामा पर आया है। पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में उनके पास चार महीने देरी से रिपोर्ट दाखिल की गई। पीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस मामले में अगले वर्ष 28 फरवरी को रिस्थित रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई आगामी 11 मार्च को होगी।

सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की कम आवाजाही के लिए कदम उठाने के निर्देश



द रीव टाइम्स ब्लूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ऑन-लाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए अधिनियमों, नियमों व विनियमों में सरलीकरण का सुझाव देते हुए प्रदेश सरकार के सभी विभागों को सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की कम आवाजाही के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बजट आश्वासन के कार्यान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे।

मुख्यमंत्री ने विभागों को उनके द्वारा

किया गई है।

कार्यान्वयन की जा रही योजनाओं के वर्तमान मानकों की समीक्षा करने निर्देश दिए और प्रक्रिया में बदलाव व सरलीकरण के लिए अपेक्षित मामलों को सुझावों सहित मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के लिए प्रतिबद्ध है और जन मंच लोगों की शिकायतों का उनके घर-द्वारा के समीप समाधान करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। उन्होंने लोगों में नियन्त्रण स्तर तक सरकारी योजनाओं व नीतियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए डिजिटल प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह लोगों को सरकारी कार्यालयों में आवाजाही में कमी लाने में सहायक सिद्ध होगा और वे अपने मामलों को ऑनलाइन हल करवाने में सक्षम होंगे।

उन्होंने सभी विभागों को लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन

कार्यालयों में नागरिकों की कम आवाजाही के लिए निर्देश दिए।

उन्होंने सभी विभागों को लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन

द रीव टाइम्स ब्लूरो

राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में मानसून के दौरान हिमाचल में कुल 1994 करोड़ की क्षति की रिपोर्ट अतिरिक्त सूचना सहित अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम को सौंप दी है। केंद्र सरकार से इस रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय सहायता की संस्तुति के लिए प्रस्तुत किया है। भारी बरसात से बाढ़, भू-स्खलन, बादल फटने और सड़क दुर्घटनाओं में 343 लोगों ने अपनी जानें गए।

अतिरिक्त मुख्य सविव राजस्व ने को



शिमला में बताया कि राज्य सरकार ने अंतर मंत्रालय टीम को सूचित किया है कि राज्य को इस वर्ष बरसात के दौरान 1994 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को सड़कों और पुलों की क्षति का प्रमुख रुप से नुकसान पहुंचा है। इस पर कुल क्षति 881.24 करोड़ रुपए की

हिमाचल विधानसभा में गोवंश संरक्षण सहित चार विधेयक पारित

हिमाचल रेजिमेंट बनाने का संकल्प सदन में विपक्ष के विरोध के बीच गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक पारित हुआ।

इसके अलावा नशे के खिलाफ सख्ती बरतने वाला संशोधित एनडीपीएस, चिट फंड कंपनियों के खिलाफ निवेशकों के हित का संरक्षण संशोधन विधेयक और जीएसटी संशोधन बिल विधानसभा में चर्चा के बाद बहुमत से पारित कर दिए गए। अब ये विधेयक स्वीकृति के लिए राज्यपाल को भेजे जाएंगे। इसके बाद कानून का रूप ले लेंगे। सदन में विपक्ष के हल्के विरोध के बावजूद गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक पारित हो गया। कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन ने गोरक्षा आयोग बनाने की सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाया।

सेना में हिमाचल के लिए अलग रेजिमेंट का प्रस्ताव पारित

विधानसभा के शीत सत्र के पांचवें दिन ही हिमाचल के युवाओं के लिए सेना में अलग रेजिमेंट बनाने को प्रस्ताव पारित भी किया गया। रैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ने

हिमाचल रेजिमेंट बनाने का संकल्प सदन में

रखा। इसमें सेना में राज्य का कोटा बढ़ाने की भी मांग की गई है।

प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे सर्वसमानति से पारित कर केंद्र से

अलग रेजिमेंट की सिफारिश की गई।

अब राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी। विधायकों का

एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी आने वाले

दिनों में प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल की इस मांग को

उठाएगा। सत्र लाख की आबादी वाले प्रदेश

में ढाई लाख से ज्यादा युवा देश की सुरक्षा

और सेवा के लिए सेना में सेवाएं दे रहे हैं।

हिमाचल के नाम पर न हो तो हिमाचल के

नाम पर रेजिमेंट खड़ी की जा सकती है।

धूंध के चलते एक माह बंद रहेगी

भुंतर-चंडीगढ़ उड़ान

पिंटर सीजन को झटका

धूंध में विजिलिटी कम होने के कारण एक

माह तक एयर इंडिया के 72 सीटर हवाई

जहाज की भुंतर-चंडीगढ़ उड़ान बंद रहेगी।

दिल्ली से भुंतर के बीच उड़ान यथावत

रहेगी। एयर इंडिया ने 17 दिसंबर से लेकर

15 जनवरी 2019 तक भुंतर-चंडीगढ़ के

बीच हवाई सेवा बंद करने का फैसला लिया

है। साल के अंतिम माह में क्रिसमस और

नववर्ष के मौके पर पर्यटन कारोबारियों की

नजरों टिकी हैं, लेकिन विटर सीजन में भुंतर

से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली एकमात्र

हवाई सेवा भी बंद हो रही है।

शिकायतों आ रही हैं कि केंद्र में दवाइयां होने

पर भी डॉक्टर दूसरी दवाइयां लिख रहे हैं,

जो बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। उन्होंने

कहा कि मरीजों को निःशुल्क दवाइयां

उपलब्ध कराई जा रही हैं। करीब साढ़े तीन

सौ तरह की दवाइयां इन केंद्रों में मौजूद हैं।

सरकार जल्द ही और दवाइयों के टेंडर करने

जा रही हैं।

राज्य के सभी रेजिमेंट बनाने के आदेश

के लिए निर्देश दिए हैं। वर्तमान में ये

आईटीआई के लिए जारी किया है, उसका भी

भवनों में चलाए जा रहे हैं।


क्या कहते हैं उघोग एवं

तकनीकी शिक्षा मंत्री

उघोग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम सिंह

ने कहा कि प्रदेश के विभिन

प्रसाद योजना में गंगोत्री, यमुनोत्री को शामिल किया गया



Gangotri, Yamunotri included under PRASAD scheme

द रीव टाइम्स ब्लूरो

केंद्र सरकार ने देश में तीर्थस्थल और धरोहर स्थल विकसित करने की केंद्रीय योजना के तहत उत्तराखण्ड में गंगोत्री एवं यमुनोत्री, मध्य प्रदेश में अमरकंटक और झारखण्ड में पासनाथ को शामिल किया है। इन नये स्थलों के जुड़ने से 'पिलियिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पीचुअल, हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव' (प्रसाद) यानी 'तीर्थात्रा कायाकल्प' एवं आधात्मिक संवर्धन मुहिम योजना में रथलों की संख्या बढ़कर 25 राज्यों में 41 हो गयी है।

ट्रांसफैट के खिलाफ FSSAI का 'हार्ट अटैक रिवाइंड' अभियान



द रीव टाइम्स ब्लूरो

भारतीय खाद्य संस्कार एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने औद्योगिक रूप से उत्पन्न ट्रांसफैट के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिये 'हार्ट अटैक रिवाइंड' नामक अभियान की शुरुआत की है।

हार्ट अटैक रिवाइंड नामक अभियान अपनी तरह का पहला मीडिया अभियान है जो कि 30 सेकंड की एक सार्वजनिक घोषणा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कहा कि ट्रांस फैट लेने से हृदय संबंधी बीमारियों के कारण हर साल

अनुमानित लागत

जानकारी के अनुसार 15 राज्यों में कुल 24 परियोजनाओं का स्वीकृति दी गयी है। इनकी अनुमानित लागत 727.16 करोड़ रुपये है। योजना के आंभ के बाद से इन परियोजनाओं के लिये कुल 331.15 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्यों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्य हेतु 100 प्रतिशत फंडिंग प्रदान की जाती है। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी (Public-private partnership) तथा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate social responsibility) के तहत भी कार्य किया जा सकता है।

प्रसाद योजना

प्रसाद योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है इस योजना के तहत देश के पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। केंद्र सरकार ने 2014-15 में प्रसाद योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों का विकास सतत, योजनाबद्ध तथा प्रमुखता से करना है। इस योजना के तहत धार्मिक पर्यटन स्थलों के सौंदर्यकरण के लिए कार्य किया जायेगा। देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है क्योंकि हमारा देश भारत हिन्दू बौद्ध, सिख, जैन और सूफी वाद जैसे कई धर्मों का देश है। मिशन की रणनीति के हिस्से के रूप में वैसे धार्मिक स्थान जिन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन उत्पादों के तौर पर पेश किया जा सकता है की पहचान की जा रही है और वहां प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी ढांचे विकसित किए जा रहे हैं।

साष्ट्रीय

16-31 दिसम्बर, 2018

11

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैडम तुसाद मोम संग्रहालय के साथ एमओयू



द रीव टाइम्स ब्लूरो

रेल मंत्रालय के साष्ट्रीय रेल संग्रहालय ने दिल्ली-एनसीआर के पर्यटकों को दोहरा लाभ उपलब्ध कराने के लिए मैडम तुसाद मोम संग्रहालय के साथ समझौता किया है। सार्वजनिक-निजी संग्रहालयों के इस समझौते से राष्ट्रीय रेल संग्रहालय और मैडम तुसाद मोम संग्रहालय के पर्यटकों की सख्त्य बढ़ेगी। इस सम्बन्ध में रेल मंत्रालय और मैडम तुसाद मोम संग्रहालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते से संबंधित मुख्य तथ्य

समझौते के तहत मैडम तुसाद संग्रहालय जाने वाले राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के आंगतुकों को टिकट पर 35 फीसदी की विशेष छूट दी जाएगी।

समझौते के तहत टिकट पर छूट के अलावा स्कूली छात्रों के लिए विशेष प्रावधान है। स्कूली छात्रों को दोनों संग्रहालय जाने पर 45 फीसदी की छूट दी जाएगी। इससे रेल विभास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और बच्चों को भी राष्ट्रीय नायकों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जिससे छात्रों की सैर

अधिक समावेशी, संपूर्ण और मजेदार हो जाएगी।

उद्देश्य:

इस समझौते का उद्देश्य अधिक संग्रहालयों में 3 से 4 दिनों के बीच घुमने के लिए छूट वाली एक टिकट की अवधारणा को बढ़ावा देना है। यह व्यवस्था पर्यटकों के लिए न केवल सुविधाजनक है, बल्कि इससे पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन भी मिलेगा। ऐसी सुविधा दुनियाभर के महत्वपूर्ण पर्यटन शहरों में पहले से उपलब्ध है।

राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित एक संग्रहालय है, जो भारत की रेल धरोहर पर ध्यान आकर्षित करता है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय 11 एकड़ जमीन में फैला है।

मैडम तुसाद मोम संग्रहालय, दिल्ली

मैडम तुसाद ने वर्ष 2017 में कनॉट पैलेस, नई दिल्ली में अपना 23वां मोम संग्रहालय खोला। यह इस प्रसिद्ध ब्रांड का भारत में पहला मोम संग्रहालय है। कनॉट पैलेस संग्रहालय में महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान जैसी 52 हस्तियों की मोम मूर्तियां हैं। एक वर्ष के अंदर ही यह मोम संग्रहालय दिल्ली का सबसे अधिक लोकप्रिय संग्रहालय बन गया है।

रक्ता मंत्रालय ने 3,000 करोड़ रुपये की रक्ता खरीद को मंजूरी प्रदान की



द रीव टाइम्स ब्लूरो

रक्ता मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में रक्ता अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में 3,000 करोड़ रुपये के बाबर की रक्ता खरीद सेवाओं को मंजूरी दी गई। रक्ता अधिग्रहण परिषद ने रक्त में प्राथमिक हथियार के रूप में रक्त में दो भारतीय जहाजों के निर्माण के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों सहित 3000 करोड़ रुपये की रक्ता खरीद को मंजूरी दी है।

रक्ता मंत्रालय ने नौसेना के दो स्टेट्यु फ्रिगेट (रडार की नजर में पकड़ नहीं आने वाले युद्धपोतों) के लिये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और सेना के मुख्य युद्धक टैक 'अर्जुन' के लिये बख्तरबंद रिकरी वाहन सहित 3,000 करोड़ रुपये मूल्य की सैन्य सेवाओं की शीर्ष संस्था है।

क्षा अधिग्रहण परिषद

भारत में 11 अक्टूबर 2001 को देश की रक्ता एवं सुरक्षा में सुधार हेतु की जाने वाली खरीद और अधिग्रहण के लिए रक्ता अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई।

रक्ता अधिग्रहण परिषद (डीएसी) रक्ता मंत्रालय के तहत एक व्यापक संरचना, रक्ता खरीद योजना प्रक्रिया के समग्र मार्गदर्शन के लिए गठित की गई थी। डीएसी रक्ता खरीद को लेकर निर्णय लेने वाली रक्ता मंत्रालय की शीर्ष संस्था है।

भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण के लिए 'डिजिटल स्काई' पोर्टल शुरू



द रीव टाइम्स ब्लूरो

नागरिक उड़ान मंत्रालय ने भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मंत्रालय ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल 'डिजिटल स्काई' की शुरुआत की है, जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

रजिस्ट्रेशन के लिए ड्रोन जोन घोषित किया गया है। एयरपोर्ट्स के आसपास, इंटरनेशनल बॉर्डर, दिल्ली में विजय चौक, सभी राज्यों की राजधानी में स्थित सचिवालय, मिलिट्री इंस्टालेशंस तथा अन्य कूटनीतिक लोकेशन।

मंत्रालय की ओर से जारी की गई ड्रोन पॉलिसी 1.0 के मुताबिक, ड्रोन को वजन के आधार पर पांच श्रेणियों में बांटा गया है। नैनो, माइक्रो, स्माल, मीडियम और लार्ज।

ड्रोन जोन

मंत्रालय ने कुछ जगहों को 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया गया है। एयरपोर्ट्स के आसपास, इंटरनेशनल बॉर्डर, दिल्ली में विजय चौक, सभी राज्यों की राजधानी में स्थित सचिवालय, मिलिट्री इंस्टालेशंस तथा अन्य कूटनीतिक लोकेशन।

ड्रीन की पांच श्रेणियां

मंत्रालय की ओर से जारी की गई ड्रोन पॉलिसी 1.0 के मुताबिक, ड्रोन को वजन के आधार पर पांच श्रेणियों में बांटा गया है। नैनो, माइक्रो, स्माल, मीडियम और लार्ज।

ड्रोन जोन


मंत्रालय ने कुछ जगहों को 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया गया है। एयरपोर्ट्स के आसपास,

इंटरनेशनल बॉर्डर, दिल्ली में विजय चौक,

सभी राज्यों की राजधानी में स्थित सचिवालय,

इतिहास रचने वाले दिव्यांग, आप भी जाने इनकी प्रेरक कहानी

इनके ज़ज़बे को दुनिया करती है सलाम



द रीव टाइम्स ब्लूग

कुछ करने के लिए इंसान की शारीरिक क्षमता की नहीं बल्कि इंसान के अंदर मजबूत इरादे की जरूरत होती है। इस अंक में दुनिया को ऐसे लोगों की कहानी बताने जा रहे हैं जो मजबूत इरादे की मिसाल हैं। उनमें से कुछ किसी दुर्घटना में तो कोई किसी और वजह से दिव्यांग हुए। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ हटकर ऐसा किया कि इतिहास में नाम दर्ज हो गया।

मेजर देवेंद्र पाल

भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर देवेंद्र पाल सिंह लोगों के लिए प्रेरणा हैं। करगिल युद्ध के दौरान अपना दाया पैर गंवाने वाले पाल ने अपनी दिव्यांगता को ही अपनी ताकत बनाई। अपने कभी हार नहीं मानने वाले ज़ज़बे के कारण वह भारत के पहले ब्लेड रनर बन गए। उन्होंने 9 मैराथन में हिस्सा लिया। तीन हाफ मैराथन में हिस्सा लेने के बाद सेना ने उनकी मदद की और उनको आयरलैंड में बना कृत्रिम पैर उपलब्ध कराया।



गिरीश शर्मा

गिरीश शर्मा एक चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जब वह 2 ही साल के थे तो एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर खो दिया। उन्होंने जर्मनी, इस्टाइल और थाइलैंड में बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने पैरालिंपिक एशिया कॉम पर एक गोल्ड मेडल भी जीता।



सुप्रीम कोर्ट ने मिनरल गॉटर कंपनियों को बंद करने की चेतावनी दी

द रीव टाइम्स ब्लूग

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चेताया कि यदि बोतलबंद पानी बेचने वाली कंपनियों ने

पानी की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया तो इन कंपनियों को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान ने एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा है कि कुछ संयंत्रों के पास पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेषज्ञ या प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं।

एक खबर के अनुसार, चीफ जस्टिस साकिब निसार, न्यायमूर्ति एजाजुल अहसन और न्यायमूर्ति फैसल अरबाब की पीठ ने बोतलबंद पानी के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए जल आयोग की ओर से दायर रिपोर्ट

पर निराशा व्यक्त की है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए अखबार ने लिखा है कि कुछ कंपनियों के पास पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेषज्ञ और प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं, वहीं कुछ अन्य संयंत्रों के पास पर्यावरण संबंधी जरुरी मंजूरी नहीं हैं।

चीफ जस्टिस ने कहा, 'आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, मैं बोतलबंद पानी की कंपनियों पर ताला लगा देना चाहता हूं। जो कंपनियां पानी चुरा रही हैं उन्हें मुआवजा देना होगा।' उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कंपनियों ने अपने कामकाज में सुधार नहीं किया तो शीर्ष अदालत के पास उन्हें बंद करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। उन्होंने कहा, 'यदि इन कंपनियों को बंद कर दिया जाए तो कोई प्यास से नहीं मरेगा।'

पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया चीन ने पाकिस्तान से नाराजगी के दिए संकेत



द रीव टाइम्स ब्लूग

चीन ने भले ही पाकिस्तान में भारी-भरकम निवेश कर रखा हो पर इस समय वह उससे काफी नाराज़ है। हाल में चीन के सरकारी टीवी नेटवर्क (CGTN) पर दिखाए गए मैप में पाकिस्तान के क्षेत्र वाले क्षेत्रों को भारत का हिस्सा बताया गया था। इसे पाकिस्तान के प्रति चीन की गहरी नाराजगी से जोड़कर

देखा जा रहा है। चीन ने यह रुख ऐसे समय में दिखाया है जब 10 दिसंबर को भारत और चीन के बीच सैन्य अध्यास होना है और करतारापुर मस्ते पर डिबेट भी हो रही है।

दरअसल, CGTN ने कराची में अपने वाणिज्य दूतावास पर हमले की रिपोर्टिंग के दौरान PoK को भारत का हिस्सा दिखाया। इसे पेइंचिंग के बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि चीन अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम रहने के कारण पाकिस्तान से काफी नाराज है। सूत्रों का कहना है कि CGTN ने मैप के लिए फिक्स्ड टेंपलेट्स का इस्तेमाल किया और प्रॉडक्शन स्टाफ को इसमें हेरफेर करने की इजाजत नहीं दी गई। सूत्रों की मानें तो टेंपलेट को लेकर फैसला उच्च अधिकारियों के निर्देश के बारे आमतौर पर जल्दी लिया होगा।

आपको बता दें कि चीनी प्रशासन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर नीतियों में परिवर्तन से पहले आधिकारिक मीडिया का इस्तेमाल टेस्ट बैलून के तौर पर करता रहा है। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि सिर्फ एक केस में अपने रुख से अलग चलने के कारण चीन के आधिकारिक नीति बदलने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

गौर करने वाली बात यह है कि आधिकारिक तौर पर जारी किए गए मैप में चीन ने कभी भी च्वांग को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। सूत्रों का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी में ऊपर से मिले सिंगल के बगैर सरकारी मीडिया अलग मैप का इस्तेमाल भी नहीं करता है। आपको बता दें कि मैप चीन में संवेदनशील मामला है इसलिए किताबों और पत्रिकाओं में पेइंचिंग के आधिकारिक नजरिए से अलग नकशों को जल्द ही ब्लॉक कर दिया जाता है।

आंतराष्ट्रीय

इनके ज़ज़बे को दुनिया करती है सलाम

कार्तिक साहनी



जब 18 साल के कार्तिक साहनी ने 12वीं में 96 फीस दी नं बर हासिल किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह इतना नंबर लाने वाले पहले दृष्टिवाधित छात्र बन गए। दृष्टिवाधित होने के कारण लगातार तीन सालों तक उनको आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करते रहे। अंत में उनकी कोशिश रंग लाई और बनाया। इसके साथ ही उन्होंने एशियन गेम्स में उड़न परी पी.टी.उषा के रेकॉर्ड को तोड़ दिया। इतना ही नहीं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 30 से ज्यादा और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 40 से ज्यादा पदक हासिल करने का रेकॉर्ड उनके नाम है।

सुभरीत कौर धुम्मन



सुभरीत कौर धुम्मन सुभरीत कौर पैर की डॉसर के रूप में लोकप्रिय हैं। एक दूर्घटना में उनको अपना एक पैर गंवाना पड़ा। पंजाब के संगरुर जिले की रहने वाली सुभरीत ने दूर्घटना के बाद हौसला नहीं हारा। एक डॉसर रिएलिटी शो में चुने जाने के बाद वह चर्चा में आई।

नवीन गुलिया



दिल्ली के रहने वाले नवीन गुलिया सेना में कमांडर के तौर पर शामिल होना चाहते थे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक स्पॉर्ट्स दूर्घटना में गुलिया लकवास्त हो गए और उनकी बाई

व्यापार देवेंद्र पाल

भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर देवेंद्र पाल सिंह लोगों के लिए प्रेरणा हैं। करगिल युद्ध के दौरान अपना दाया पैर गंवाने वाले पाल ने अपनी दिव्यांगता को ही अपनी ताकत बनाई। अपने कभी हार नहीं मानने वाले ज़ज़बे के कारण वह भारत के पहले ब्लेड रनर बन गए। उन्होंने 9 मैराथन में हिस्सा लिया। तीन हाफ मैराथन में हिस्सा लेने के बाद सेना ने उनको पदक जीता। 2014 में भारत सरकार ने उनको पदम श्री पुरस्कार से सम्मानित किया।



अरुणिमा सिंह



अरुणिमा एक हादसे में बायां पैर खो चुकी हैं और दाएं पैर में लोहे की रॉड पड़ी है। उनके बायां पैर खो चुकी हैं और दाएं पैर में लोहे की रॉड पड़ी है। उनके पैर स्पाइन बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ ऐसा किया कि लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हो गया। वह पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने दिल्ली से मार्सिंग ला का सफर किया। मार्सिंग ला 8,632 फीट की ऊँचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊँचा दर्दा है।

खोने की कहानी भी बेहद दर्दनाक है। राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा को लखनऊ से दिल्ली जाते वक्त कुछ लुटेरों ने चेन छीनने की कोशिश में ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, इस हादसे के बाद वह उन्होंने अपने पैर खो दिए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला हो गई।

जिन्होंने कहा है कि उन्होंने एशियन गेम्स में उड़न परी पी.टी.उषा के रेकॉर्ड को तोड़ दिया। इतना ही नहीं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 30 से ज्यादा और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 40 से

विधानसभा चुनाव परिणाम : ये रहे पांचों राज्यों के नतीजे जानिए कहाँ – किस पार्टी को मिली कितनी सीटें

द रीव टाइम्स ब्लूग

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत सभी पांचों राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को करारी शिक्षण दी है। कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा के हाथ से छत्तीसगढ़ और राजस्थान छीन लिया है। इसमें छत्तीसगढ़ को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन यहाँ करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा सीटें जीती हैं। हालांकि यहाँ कांग्रेस बहुमत से बस दो कदम दूर रह गई।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे

मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने पहली बार खंडित जनादेश दिया है। कांटे के मुकाबले में फंसी दोनों पार्टियों कांग्रेस और भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस 114 सीटों के साथ पहले नंबर पर और 109 सीटों के साथ भाजपा दूसरे स्थान पर है। वहीं, बसपा को 2, सपा को 1 और 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई हैं। 230 विधानसभा सीटों वाली राज्य विधानसभा में बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है।

राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे

राजस्थान में हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन की परिपाठी बरकरार रही। यहाँ भाजपा को सत्ता से बेदखल कर कांग्रेस नई सरकार बनाने को तैयार है। यहाँ कांग्रेस के

पक्ष में जिस तरह

एकतरफा मुकाबला बताया जा रहा था, वैसा नहीं रहा। जैसे–जैसे मतगणना आगे बढ़ी, कांटे की टक्कर साफ दिखाई देने लगी। अंततः वहाँ कांग्रेस को निर्णयक बढ़त मिल गई।

कुल 199 सीटों पर हुए 15 सीटों में कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी देते हुए 99 सीटों का आंकड़ा छू लिया। वहीं, सूबे में भाजपा को 73 सीटें ही मिल सकी। हालांकि राज्य में दोनों दलों के दिग्गजों ने अपनी–अपनी सीटें जीत लीं। दो बार की मुख्यमंत्री वसुधरा राजे ने झालरापाटन से मानवेंद्र सिंह को हरा दिया। वहीं कांग्रेस के अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सी पी जोशी ने अपनी–अपनी सीटें जीत लीं, जबकि कांग्रेस की दिग्गज नेता गिरिजा व्यास को गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। राज्य में कई मौजूदा मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। बता दें कि राज्य में वर्ष 1993 के बाद कोई भी दल

मध्यप्रदेश-230			
भाजपा	कांग्रेस	बसपा	अन्य
109	114	02	05

राजस्थान-199			
भाजपा	कांग्रेस	बसपा	अन्य
73	99	06	21

छत्तीसगढ़-90			
भाजपा	कांग्रेस	जेटीटी-बसपा	अन्य
15	68	07	00

तेलंगाना-119			
भाजपा	कांग्रेस	मिजोरम-40	अन्य
01	19	88	11

लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाया है।

तब भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी। इसके बाद 1998 व 2008 में कांग्रेस तो 2003 व 2013 में भाजपा सत्ता में रही।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे

छत्तीसगढ़ में किसानों की ओरण मारी समेत फसलों के उचित मूल्य के कांग्रेस के बाबक भाजपा को एक ही सीट मिल पाई। इसके अलावा मजलिस-ए-इत्तो हादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को छह सीटें मिलीं। राज्य में जल्द चुनाव कराने के लिए केसीआर सरकार ने विधानसभा को भंग कर दिया था। हालांकि उनका यह दांव बेहद सफल साबित हुआ।

मिजोरम चुनाव

मिजोरम चुनाव सिर्फ तीन बोट के अंतर से भी हुआ हार–जीत का फैसला हुआ। मिजोरम विधानसभा के लिए हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में कांग्रेस को करारी हार मिली है। कांग्रेस महज पांच सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। एमएनएफ को 26 सीटें मिली और जोराम पीपल्स मूर्खमेट जेडीएम को आठ सीटें मिलीं। बीजेपी ने भी आठ फीसदी बोट पाकर एक सीट के साथ राज्य में अपना खाता खोला।

सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा



द रीव टाइम्स ब्लूग

सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अलग-अलग राय व्यक्त की। तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल थे। जजों की टिप्पणियों से साफ है कि देश में मृत्युदंड की सजा बनी रही है। सुप्रीम कोर्ट ने छन्नू लाल वर्मा को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। छन्नू लाल वर्मा

को दो महिलाओं सहित तीन लोगों की हत्या को लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। तीनों न्यायाधीशों में मृत्युदंड के क्रियान्वयन को लेकर मतभेद थे लेकिन वे छन्नू लाल वर्मा की मौत की सजा को बदलने पर एकमत थे।

भारत में मौत की सजा

भारत में मौत की सजा कुछ गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1995 के बाद 5 घटनाओं में मौत की सजा दी है। भारत में वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद मौत की सजा प्राप्त लोगों

की संख्या विवादित है। अधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल 52 लोगों को फाँसी की सजा दी गयी है। यद्यपि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरेंज के एक शोध के अनुसार यह संख्या बहुत अधिक है और इसके अनुसार केवल वर्ष 1953 से वर्ष 1963 के दशक में ही यह संख्या 1422 है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के एक शोध के अनुसार भारत में वर्ष 2000 से अब तक नीचली अदालतों द्वारा कुल 1617 कैदियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अनुसार वर्ष 1947 से अब तक भारत में कुल 755 लोगों को मृत्यु दण्ड दिया जा चुका है। दिसम्बर 2007 में, भारत ने मौत की सजा पर रोक के संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प के विरुद्ध मतदान किया था। इसके बाद नवम्बर 2012 में, मौत की सजा को प्रतिबन्धित करने के लिए रखे गये संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदे के विरुद्ध मतदान करते हुये अपने फैसले को बरकरार रखा।

यौन उत्पीड़न पोर्टल 'शी-बॉक्स' को केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों और जिलों से लिंक

द रीव टाइम्स ब्लूग

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 'शी-बॉक्स' को केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और 33 राज्यों के 653 जिलों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से लिंक किया है। 'शी-बॉक्स' पर दर्ज कराई गई शिकायत के प्रत्येक मामले तकाल निपटारे के लिए संबंधित केंद्र/राज्य अधिकारियों के पास सीधे चले जाएंगे और वे अपने अधिकार क्षेत्र में मामले के संबंध में कार्रवाई करेंगे। 'शी-बॉक्स' की शिकायतकर्ता और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा सकती है। इससे मामले के निपटान में लगने वाले समय में कमी आएगी।

उद्देश्य

'शी-बॉक्स' पोर्टल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं और तेजी से राहत उपलब्ध कराने का एक प्रयास है।

पठार का भाग नहीं है?

उत्तर – मध्य प्रदेश

खेड़ेर दर्द स्थित है –

उत्तर – अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच

क

सौभाग्य योजना



सौभाग्य

देश में एक ओर बुलेट ट्रेन की तैयारी चल रही है तो दूसरी ओर यह भी बड़ी हकीकत है कि आजादी के सात दशकों बाद भी भी करीब चार करोड़ ऐसे घर हैं जिनमें

बिजली नहीं पहुंच पाई है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल भी इस सूची में शामिल है जहां कुछ गांवों के लोग आज भी लालटेन के मधम उजाले से अपने जीवन को रोशन करते हैं। बच्चे पढ़ाई भी मोबाइली और लालटेन की रोशनी में करते हैं तो महिलाएं भी बिना बिजली के पेरेशानी झेलने को मजबूर रहती हैं।

शायद ग्रामीण भारत की इसी सबसे बड़ी पेरेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना की शुरुआत की। उम्मीद है कि जिस प्रकार उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं के जीवन को ना सिर्फ धूंध से मुक्ति दिलाकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा की बल्कि उनका जीवन भी आसान बनाया उसी प्रकार सौभाग्य योजना भी ग्रामीण भारत की तरखी बदलने में कामयाब रहेगी। आइए जानते हैं सौभाग्य योजना क्या है और इसका लाभ किसको और कैसे मिलेगा।

क्या है सौभाग्य योजना

योजना का नाम – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना



किसके द्वारा घोषित की गयी— केंद्रीय सरकार द्वारा लांच

कब हुई : 25 सितंबर 2017

योजना की अवधि : 31 मार्च 2019

योजना का लक्ष्य : भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना

किसको मिलेगा फायदा : गरीब लोगों को

क्या होगा आपको फायदा? : इस योजना के तहत देश

के सभी गांवों का बिजलीकरण होगा।

इसके तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी मिलती है। इस योजना पर 16,320 करोड़ रुपये की सहायता का लिए 14,025 करोड़ रुपये 2.50 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए।

किसके द्वारा घोषित की गयी— केंद्रीय सरकार द्वारा लांच

कब हुई : 25 सितंबर 2017

योजना की अवधि : 31 मार्च 2019

योजना का लक्ष्य : भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना

किसको मिलेगा फायदा : गरीब लोगों को

क्या होगा आपको फायदा? : इस योजना के तहत देश

के सभी गांवों का बिजलीकरण होगा।

इसके तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी मिलती है। इस योजना पर 16,320 करोड़ रुपये की सहायता का लिए 14,025 करोड़ रुपये 2.50 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए।

किसके द्वारा घोषित की गयी— केंद्रीय सरकार द्वारा लांच

कब हुई : 25 सितंबर 2017

योजना की अवधि : 31 मार्च 2019

योजना का लक्ष्य : भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना

किसको मिलेगा फायदा : गरीब लोगों को

क्या होगा आपको फायदा? : इस योजना के तहत देश

के सभी गांवों का बिजलीकरण होगा।

इसके तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी मिलती है। इस योजना पर 16,320 करोड़ रुपये की सहायता का लिए 14,025 करोड़ रुपये 2.50 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए।

किसके द्वारा घोषित की गयी— केंद्रीय सरकार द्वारा लांच

कब हुई : 25 सितंबर 2017

योजना की अवधि : 31 मार्च 2019

योजना का लक्ष्य : भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना

किसको मिलेगा फायदा : गरीब लोगों को

क्या होगा आपको फायदा? : इस योजना के तहत देश

के सभी गांवों का बिजलीकरण होगा।

इसके तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी मिलती है। इस योजना पर 16,320 करोड़ रुपये की सहायता का लिए 14,025 करोड़ रुपये 2.50 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए।

किसके द्वारा घोषित की गयी— केंद्रीय सरकार द्वारा लांच

कब हुई : 25 सितंबर 2017

योजना की अवधि : 31 मार्च 2019

योजना का लक्ष्य : भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना

किसको मिलेगा फायदा : गरीब लोगों को

क्या होगा आपको फायदा? : इस योजना के तहत देश

के सभी गांवों का बिजलीकरण होगा।

इसके तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी मिलती है। इस योजना पर 16,320 करोड़ रुपये की सहायता का लिए 14,025 करोड़ रुपये 2.50 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए।

किसके द्वारा घोषित की गयी— केंद्रीय सरकार द्वारा लांच

कब हुई : 25 सितंबर 2017

योजना की अवधि : 31 मार्च 2019

योजना का लक्ष्य : भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना

किसको मिलेगा फायदा : गरीब लोगों को

क्या होगा आपको फायदा? : इस योजना के तहत देश

के सभी गांवों का बिजलीकरण होगा।

इसके तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी मिलती है। इस योजना पर 16,320 करोड़ रुपये की सहायता का लिए 14,025 करोड़ रुपये 2.50 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए।

किसके द्वारा घोषित की गयी— केंद्रीय सरकार द्वारा लांच

कब हुई : 25 सितंबर 2017

योजना की अवधि : 31 मार्च 2019

योजना का लक्ष्य : भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना

किसको मिलेगा फायदा : गरीब लोगों को

क्या होगा आपको फायदा? : इस योजना के तहत देश

के सभी गांवों का बिजलीकरण होगा।

इसके तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी मिलती है। इस योजना पर 16,320 करोड़ रुपये की सहायता का लिए 14,025 करोड़ रुपये 2.50 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए।

किसके द्वारा घोषित की गयी— केंद्रीय सरकार द्वारा लांच

कब हुई : 25 सितंबर 2017

योजना की अवधि : 31 मार्च 2019

योजना का लक्ष्य : भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना

किसको मिलेगा फायदा : गरीब लोगों को

क्या होगा आपको फायदा? : इस योजना के तहत देश

के सभी गांवों का बिजलीकरण होगा।

इसके तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी मिलती है। इस योजना पर 16,320 करोड़ रुपये की सहायता का लिए 14,025 करोड़ रुपये 2.50 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए।

किसके द्वारा घोषित की गयी— केंद्रीय सरकार द्वारा लांच

कब हुई : 25 सितंबर 2017

योजना की अवधि : 31 मार्च 2019

योजना का लक्ष्य : भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना

किसको मिलेगा फायदा : गरीब लोगों को

क्या होगा आपको फायदा? : इस योजना के तहत देश

के सभी गांवों का बिजलीकरण होगा।

इसके तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी मिलती है। इस योजना पर 16,320 करोड़ रुपये की सहायता का लिए 14,025 करोड़ रुपये 2.50 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए।

दिवस पर की गयी है। इस स्कीम के तहत सरकार गांवों के साथ-साथ सभी इलाकों में भी बिजली पहुंचाएगी। इस स्कीम को सही तरह से चलाने की जिम्मेदारी ग्रामीण विद्युत निगम को दी गयी है और ये निगम इस स्कीम को सफल बनाने के लिए हर कार्य कर रहा है।

योजना से जुड़े दस्तावेज़

सांसद आदर्श ग्राम योजना गांवों के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है। जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)

- Launched by Hon'ble PM on 11 October 2014
- Hon'ble Members of Parliament are guiding the Gram Panchayats towards holistic Development
- SAGY GPs are the schools of local level development and governance
- Inspiration to neighbouring Gram Panchayats to learn and adapt
- Convergence of Central/ Centrally sponsored schemes/ State Schemes and partnership with private, voluntary and cooperative sectors

- इस योजना के लिए महात्मा गांधी के सिद्धांतों और मूल्यों पर ज्यादा भार दिया गया है। इस योजना के तहत गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के साधन बसाए जाएंगे। जिससे गांव का डेवलपमेंट हो पाए।
- इस योजना के तहत हमारे देश के गांवों के क्षेत्रों में जैसे की खेती, स्वास्थ्य, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण, रोजी-रोटी आदि में सुधार लाया जाएगा।

Saansad Adarsh Gram Yojana के तहत गांव के लोगों के जीवन में नए सुधार आयेंगे। इस योजना के तहत गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के साधन बसाए जाएंगे। यह योजना बेहद ही अद्वितीय और ललौली भी है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकास है। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और इतना ही नहीं वह कुछ सेवाओं का मूल्य बढ़ाना चाहते थे, जैसे की अन्योदय, लड़कों और लड़कियों में समानता, महिलाओं की गरिमा बनाये रखना, स्वच्छता आदि गांव के लोगों में और गांव में आने वाला परिवर्तन सबके लिए मिसाल होना चाहिए।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2019 तक देश के तीन गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का था जो की 2016 में खत्म हो गया था। इसके बाद 5 गांवों को 2024 तक आदर्श गांव बनाने की भी उद्देश्य है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य हेतु मौजूदा योजना और नयी योजनाओं को प्रक्षेपित कर ग्राम को बढ़ावा देकर गांव के लोगों को अच्छा जीवन निर्वाह कर पाएंगे और पुरे गांव का विकास करवाने होंगे।
- गांव के लोगों में गुणवत्ता, सभी के जीवन स्तर के लिए उनकी बुनियादी सेवाओं में सुधार लाना चाहिए, उत्पादकता में बढ़ोतारी, मानव विकास, बेहतर आजीविका के लिए प्रयास, असमानताओं को कम करके अपने अधिकारों को जान सकेंगे और प्राप्त कर सकेंगे।
- इस योजना के तहत एक आदर्श गांव बनाया जाएगा।

मैंने 15 अगस्त को कहा था कि 11 अक्टूबर, जयप्रकाश जी के जन्म दिन पर इसकी guidelines पेश करेंगे। कुछ मित्रों में मुझे उसी शाम को Email करके, कहा कि मैंने एक गांव Select किया है, ऐसा मुझे बताया था। और वे भाजपा के ही लोग थे, ऐसा नहीं है। भाजपा के सिवा MP ने भी, कॉर्प्रेस के MPs ने भी मुझे लिखकर के दिया है। तभी मुझे लगा था कि बात में दम है। राजनीति से परे होकर के सबको इसको गले लगा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

मैं समझता हूं भारत मां की बहुत बड़ी सेवा करने का एक नया तरीका हम आजमा रहे हैं। मैं सभी सांसदों का हृदय से अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने बड़े उमंग के साथ सभी दल के महानुभावों ने इसको स्वीकार किया है, स्वागत किया है और सबके मार्गदर्शन में यह कोई योजना Ultimate नहीं है, इसमें बहुत बदलाव आएंगे। बहुत सुधार आएंगे, बहुत व्यवहारिक बातें आएंगी। लेकिन ये रूपए-पैसों वाली योजना नहीं है। यह योजना People & Driven है, People's Participation से होने वाली है और सांसद मार्गदर्शन में होने वाली है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र

जो की सबके लिए एक मॉडल प्रदान करे, जिससे पड़ोसी ग्राम भी इससे प्रभावित हो और उस ग्राम के जैसा विकास करे।

- इस योजना के तहत उस आदर्श ग्राम को एक स्कूल के तौर पर लिया जाएगा और दुसरे गांव भी इससे प्रभावित होकर विकास कर पाएंगे।


SAGY के तहत आदर्श गांव के लिए गांव कैसे चुना जायेगा?

इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को कुछ शर्तों के आधार पर आदर्श ग्राम के लिए चुना जाएगा:

- कोई भी समतल विस्तार की ग्राम पंचायत में जन संख्या 3000 से 5000 और पहाड़ी विस्तारों में 1000 से 3000 होनी चाहिए।
- संसद के सदस्य कोई भी अनुरूप ग्राम पंचायत को विकास की ओर ले जाने के लिए और आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुन सकता है। वह सदस्य अपना खुद का गांव या फिर अपने पत्नी-पति का गांव भी आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुन सकता है।
- संसद सदस्य कुल 3 गांव आदर्श ग्राम बनाने के लिए प्रसंद कर सकते हैं।
- इतना ही नहीं इस योजना के तहत लोकसभा के सदस्य भी अपने मत विस्तार में से कोई गांव आदर्श गांव बनाने के लिए प्रसंद कर सकता है। सिर्फ लोकसभा का सदस्य ही नहीं पर इस योजना के तहत राज्यसभा के सदस्य भी अपने मतविस्तार के किसी गांव को आदर्श गांव के लिए प्रसंद कर सकते हैं।
- कुछ राज्यसभा के सदस्य जिनको किसी सेक्टर के मंत्री पद पर नामांकित हो, वह अपने मतविस्तार से आदर्श ग्राम बनाने के लिए कोई भी गांव को प्रसंद कर सकते हैं।
- अगर कोई ग्राम पंचायत किसी सदस्य के रहते आदर्श ग्राम के लिए चयनित की गयी हो और उस सदस्य का कार्यकाल खत्म हो जाए तो वह ग्राम पंचायत को Sansad Adarsh Gram Yojana के तहत आदर्श गांव बनाएगा।
- नया सदस्य भी इस योजना के तहत अपने मतविस्तार से कोई गांव आदर्श गांव के लिए प्रसंद कर सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का फोकस अब गांवों को भी स्मार्ट बनाने पर है। प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में हुए बड़े समारोह में आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 2019 तक सभी सांसद अपने क्षेत्र के 3

Overall achievements by SAGY GPs against baseline status



गांवों को आदर्श ग्राम बनाएंगे। 2016 तक एक गांव के आदर्श गांव बनाने का लक्ष्य था।

इस योजना के तहत एक साल में करीब 800 गांवों का कार्याकल्प किए जाने का लक्ष्य था।

सांसदों को विकास के लिए गांव चुनने की पूरी आजादी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये शर्त स्वतंत्र है कि सांसद अपने गांव या अपने सासुराल को गोद नहीं ले पाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सिर्फ सरकारी योजनाओं से ही गांवों का विकास संभव नहीं है। मोदी ने इस योजना की तर्ज पर राज्यों से भी ऐसी स्कीम शुरू करने की अपील की है।


- प्रधानमंत्री ने नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गांवों को आदर्श बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सांसदों की होगी। उन्होंने कहा कि साल 2019 तक कम से कम 2500 मॉडल गांव तैयार हो जाएंगे। मोदी ने इस योजना के तर्ज पर राज्यों से भी विधायकों के लिए ऐसी स्कीम शुरू करने के लिए कहा है।
- नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सांसदों को अपने गांव को छोड़कर कोई और गांव चुनने की पूरी आजादी होगी।

हम आपको बता दें कि किन गांवों को आदर्श बनाया जा रहा है और वहां क्या सुविधाएं मिलेंगी? मैदानी इलाकों में 3000-5000 की जनसंख्या वाले जबकि पहाड़ी इलाकों में 1000-3000 की जनसंख्या वाले गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। आदर्श ग्राम में अस्पताल, स्कूल, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, इस साक्षरता और सार्वजनिक शौचालय की सुविधा होगी।

यही नहीं आदर्श गांव के सभी किसानों को सॉर्टल हेल्पर्स कार्ड, हेल्पर और आधार कार्ड भी मिलेंगा। स्कूलों को स्मार्ट स्कूल भी बनाया जा सकता है। साथ ही आदर्श गांव अपना आर्थिक एजेंडा भी तय करेंगे। सांसदों ने भी प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना की जमकर तारीफ की है। सांसदों के मुताबिक नई योजना से हर सांसद को प्रेरणा मिलेगी और गांवों का विकास

होगा।

सांसद आदर्श योजना में गोद लिए गांव का विवरण:



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जयपुर गांव को दत्तक ग्रहण किया है। सोनिया गांधी ने राय बरेली राहुल गांधी ने अमेठी वीठको सिंह ने मीरपुर हिन्दू सचिन तेंदुलकर ने पट्टमंजू वारी कंदीग्रा

ग्राम पंचायत थड़ी की प्रधान आशा कश्यप क्या कहती है

शिमला जिले की ग्राम पंचायत थड़ी को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित किया गया और पूर्व राज्य सभा सांसद बिमला कश्यप ने शोधी की ग्राम पंचायत थड़ी को गोद लिया तथा लगभग एक करोड़ से अधिक के विकास कार्य करवाए गए। पंचायत में जिन विकास कार्यों को करवाया गया है उसका विवरण

- मिनी स्टेडियम
- आंगनबाड़ी केन्द्र
- पॉली हाउस
- पुलों का निर्माण</li



MISSION RIEV

Ruralising India- Empowering Villages



अबका साथ ही है मिशन की सफलता क्योंकि



2019

January						
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

February						
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

March						
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

आईआइआरडी अवकाश सूची		
अवकाश	दिनांक	दिन
गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	शनिवार
महा शिवरात्री	04 मार्च	सोमवार
होली	21 मार्च	वीरवार
हिमाचल दिवस	15 अप्रैल	सोमवार
इद-उल-फितर	05 जून	बुधवार
स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	वीरवार
जन्माष्टमी	23 अगस्त	शुक्रवार
महात्मा गांधी जयंती	02 अक्टूबर	बुधवार
दशहरा	08 अक्टूबर	मंगलवार
दिवाली	28 अक्टूबर	सोमवार
गुरु नानक जयंती	11 नवंबर	सोमवार
क्रिसमस-डे	25 दिसंबर	वीरवार

सार्वजनिक सरकारी अवकाश		
पूर्ण राजत्व दिवस	25 जनवरी	
गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	
गुरु रवि दास जयंती	19 फरवरी	
महा शिवरात्री	04 मार्च	
होली	21 मार्च	
रामनवमी	13 अप्रैल	
डा.बीआर अंबेकर जयंती	14 अप्रैल	
हिमाचल दिवस	15 अप्रैल	
गुड फ्राइडे	19 अप्रैल	
परशुराम जयंती	07 मई	
बुद्ध पूर्णिमा	18 मई	
इद-उल-फितर	5 जून	
संत गुरु कबीर जयंती	17 जून	
इद-उल-जुहा (बकरीद)	12 अगस्त	
स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	
जन्माष्टमी	24 अगस्त	
मुहर्म	10 सितंबर	
महात्मा गांधी जयंती	2 अक्टूबर	
दशहरा	03 अक्टूबर	
महर्षि बाल्मीकी जयंती	13 अक्टूबर	
दिवाली	27 अक्टूबर	
गुरु नानक जयंती	12 नवंबर	
क्रिसमस	25 दिसंबर	

वैकल्पिक अवकाश		
नववर्ष दिवस	01 जनवरी	
लोहड़ी	13 जनवरी	
मकर संक्रांति	14 जनवरी	
बसंत पंचमी	10 जनवरी	
स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती	01 मार्च	
बैसाखी	14 अप्रैल	
महावीर जयंती	17 अप्रैल	
ईस्टर-डे	21 अप्रैल	
महा अष्टमी	06 अक्टूबर	
गोवर्धन पूजा	28 अक्टूबर	
गुरु तेगबहादुर शहीदी दिवस	24 नवंबर	
क्रिसमस संचाला	24 दिसंबर	

महिला कर्मचारियों के लिए अवकाश		
रक्षा बंधन	15 अगस्त	
करवाचौथ	17 अक्टूबर	
भाईदूज	29 अक्टूबर	

July						
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

August						
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

September						
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						